[श्री लाल कृष्ण अडवाणी]

कल मेरे मित्र श्री समर गुह बोले हैं—दोनों ने इस बात पर बल दिया कि हम कहीं अपनी आइडियलिस्टिक कल्पना और थ्योरैटिकल कल्पना में ऐसी गल्ती न कर बैठें कि जिस के कारण आकाशवाणी और और दूरदर्शन जैसे शक्तिशाली संचार साधनों पर किसी वेस्टेड-इन्टरेस्ट का प्रभाव हो जाय या इस की इस प्रकार की रचना बन जाय कि जिस के कारण देश का अहित हो। लेकिन मैं उन की भाषा सुनने के बाद और उन का भाषण सुनने के बाद भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जहां तक मूल मुद्दा है, उस मूल मुद्दे पर कोई बहुत ज्यादा मतभेद नहीं है, मतभेद उस के क्रियान्वयन के तरीके पर है ।

सभापति महोदय : अब आप अगले दिन अपना भाषण जारी रखेंगे ।

अब प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस शुरु होता है ।

श्री पवित्र मोहन प्रधान, आप अपना मोशन मूव करें ।

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILS AND RESOLUTIONS

TWENTY-FIFTH REPORT

SHRI PABITRA MOHAN FRADHAN (Deogarh): Sir, I beg to move:

"That this House do agree with the Twenty fifth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 29th November, 1978".

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That this House do agree with the Twenty-fifth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 29th November, 1978"

The motion was adopted.

---

15 hrs.

RESOLUTION *RE.* RECLAMATION OF BARREN AND FALLOW LAND FOR DISTRIBUTION TO LANDLESS *PERSONS—Contd.*

MR. CHARMAN: Now, we take up further discussion of the following Resolution moved by Shri Laxmi Narain Nayak on the 4th August 1978:

"This House is of opinion that with a view to providing employment to about 7 crore unemployed persons, reclaiming barren and fallow land and increasing food production in the country, the Central Government should provide necessary financial assistance to State Governments and Union territories Administration to form a Land Army which may reclaim about 5 crore acres of barren and fallow land within one year and distribute it among the landless persons after providing irrigation facilities and other inputs."

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा) : माननीय सभापति महोदया, मैं कह रहा था कि अगर भूमिहीनों को उनकी जीविका का साधन, उनको खेती करने के लिए जमीन नहीं दी गयी तो इस का परिणाम बड़ा भयावह हो सकता है। उस दिन मैंने बोलते हुए इस बात का जिक्र किया था कि आचार्य विनोबा भावे ने इस सम्बन्ध में एक प्रयास किया था कि इस देश के भूमि-हीनों को जमीन मिल जाए लेकिन उनका प्रयास सफल नहीं रहा । आज भी हमारे देश में 4,74,9400 व्यक्ति हैं जो खेती का काम करते हैं और जिन के पास जमीन नहीं है । ये ऐसे लोग हैं जो खेती का काम करते हैं, अनाज पैदा करते हैं लेकिन उन के पास एक इंच भी जमीन नहीं है । यह स्थिति आज देश में है । यह स्थिति आज इस मोड़ पर आ गयी है कि अगर शीघ्रातिशीघ्र उन को जमीन नहीं मिलती है, उन को जीविका का साधन नहीं मिलता है तो इस का परिणाम इतना भयानक हो सकता कि उस की कल्पना नहीं की जा सकती ।

हमें दुनिया का इतिहास सिखाता है कि जहां दबे हुए लोगों को, अन्याय पीड़ित लोगों को उन को जीविका के साधन नहीं दिये जाते वहां वे निराश हो कर, हताश हो कर सशस्त्र क्रांति पर उतर आते हैं । इस के लिए कोई बहुत बड़ा प्रमाण ढूंढने की आवश्यकता नहीं है । हमारे देश में भी शुरु में, 1954 में ऐसा हुआ और चीन तथा रूस तो इस के प्रमाण हैं ही । बहुत दिनों तक इन को ऐसे ही दबाया नहीं रखा जा सकता है और आज देश का वातावरण भी ऐसा ही है कि इन को शीघ्रातिशीघ्र जमीन मिलनी चाहिए इन सब को जमीन देना कोई असंभव बात नहीं है लेकिन इस के लिए इच्छा शक्ति और संकल्प होना चाहिए । अगर ऐसा नहीं हुआ तो जैसा कि मैंने कहा कि ये लोग विवश हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि वह दिन आये, जिस दिन इस देश में न्याय पाने के लिए खून की नदियां बहें, क्रान्ति हो । वह दिन दुर्भाग्य का दिन होगा । उस में लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा । एक भूखा आदमी हताश हो कर कुछ भी करने को तैयार हो जाता है ।

बुभुक्षितः किं न करोति पापम्

भूखा आदमी क्या नहीं करता । अभी हम थोड़ी देर पहले आकाशवाणी और आकाश भारती पर चर्चा कर रहे थे और कह रहे थे कि लोकतंत्र की नींव को मजबूत रखने के लिए संचार माध्यमों का पूर्णतः स्वतंत्र होना आवश्यक है, संचार माध्यमों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए ताकि जनता की भावनाएं स्वतंत्र रूप से देश के सामने आ सकें । किन्तु माननीया मैं कहना चाहता हूं कि केवल संचार माध्यमों को स्वतंत्र रखने से ही लोकतंत्र जीवित नहीं रहेगा ।

लोकतंत्र को प्राण देने के लिए आवश्यक है कि लोगों को जीविका मिले, लोगों को जमीन मिले भूखों को रोटी मिले। अपनी आवाज व्यक्त करने की स्वतंत्रता देने से ही लोकतंत्र जीवित नहीं रहेगा लोकतंत्र को कायम रखने के लिए, इसको प्राण देने के लिए आवश्यक है कि लोगों को रोटी मिले, जीविका मिले।

एक बार 15 अगस्त का उत्सव मनाया जा रहा था। उस समय चारों तरफ बड़ी उमंग और उल्लास था। जब लोग इस पर्व को मना रहे थे तो एक आदमी को हमने कहते सुना—

रोटी को जो तरस रहा है, 15 अगस्त को वह क्या जाने ?

जो रोटी को तरस रहा है, जिस के लिए जीविका का कोई साधन नहीं है, उस के लिए इस आजादी का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि हम आजादी के साथ रोटी भी देंगे। लेकिन वह रोटी अभी तक नहीं मिल पायी है। वह रोटी अभी तक हम नहीं दे पाये हैं। अगर हम भूमिहीनों को जमीन नहीं दे सके तो चाहे हम आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्तता दे दें, आकाश भारतीय बना दें, यह सब निरर्थक बात रहेगी। देश के गांवों में बसने वालों के लिए इस का कोई मूल्य या कीमत नहीं है। उन करोड़ों लोगों के लिए इस की कोई कीमत नहीं है जिनकी झोपड़ियों में चिराग नहीं जलता, जिनको दोनों वक्त रोटी नहीं मिलती। उन के लिए इस का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमारी सरकार इस बात को गंभीरता-पूर्वक सोचे। अब समय आ गया है कि इस में देर न की जाए। इन भूमिहीनों को इतना विवश न किया जाए जिस से वे इस देश के लोकतंत्र के लिए घातक बन जाएं। ये लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए तुल जायें अथवा ऐसी शक्तियों के साथ जाने पर तुल जायें जो देश में लोकतंत्र को मिटाना चाहती हैं तो कोई उनको रोक नहीं सकता है। इस समय हम बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि में देख रहे हैं कि हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनको जिन्दा जलाया जा रहा है, गांव के गांव जलाए जाते हैं। इन सब का मूल कारण एक ही है और वह जमीन है। कोई दूसरा कारण नहीं है। उनके पास जीविका के साधन नहीं हैं, भूमि नहीं है। वे भूमि चाहते हैं। जो बड़े बड़े भूस्वामी हैं वे चाहते नहीं हैं कि उनको जमीन मिले, वे चाहते नहीं हैं कि वे लोग स्वतंत्र रूप से जीविका चला सकें, जीवन व्यतीत कर सकें, अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इसीलिए यह सारा संघर्ष है। इसी कारण से देश में उत्पात है, अशान्ति है और हमारा देश कलंकित होता है, अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता है। ऐसी बात नहीं है कि जमीन नहीं है देश में। जमीन है जो इन लोगों को दी जा सकती है।

मेरे पास कृषि मंत्रालय की सलाहकार समिति की एक टिप्पणी है। मैं इस सलाहकार समिति का सदस्य हूं। 3 जुलाई 78 को मैंने इस सलाहकार समिति में एक प्रश्न किया था। मैंने पूछा था कि देश में बंजर जमीन, कृषि योग्य पड़ती जमीन और दूसरे प्रकार की पड़ती जमीन कितनी है। वहां पर मुझे इसका जवाब भी दिया गया था। मैं अपनी स्मरण शक्ति से आपको बताना चाहूंगा इस सब के आकड़े। हर प्रान्त का उसमें उल्लेख है, विवरण है। लेकिन हर प्रान्त की बात न कह कर मैं पूरे हिन्दुस्तान में जो बंजर जमीन है और जिस पर खेती की जा सकती है उसका आंकड़ा ही देना चाहूंगा। जो बंजर जमीन है वह 2 करोड़ 35 लाख 59 हजार हैक्टर है। जो कृषि योग्य पड़ती जमीन है जिस में खेती की जा सकती है, जिसमें कभी खेती हुई भी है वह है 1 करोड़ 68 लाख 63 हजार हैक्टर। इसके अलावा कुछ ऐसी जमीन है जो फालतू पड़ी हुई है और वह है 91 लाख 39 हजार हैक्टर। यह तीन तरह की जमीन है जिस पर आज खेती की जा सकती है लेकिन हो नहीं रही है। इसको अगर आप जोड़ें तो यह कुल 4 करोड़ 95 लाख 61 हजार हैक्टर जमीन बन जाती है। यह कम जमीन नहीं है। कुल जमीन जिस पर हमारे देश में खेती होती है उसका रकबा 16 करोड़ 95 लाख 35 हजार हैक्टर है। अब 4 करोड़ 95 लाख 61 हजार हैक्टर ऐसी जमीन है जो खेती योग्य है लेकिन जो पड़ती पड़ी हुई है और क्या इस पर खेती हम नहीं कर सकते हैं ? अगर इस पर खेती हो तो न केवल देश से हम भुखमरी को दूर कर सकते हैं बल्कि देश के भूमिहीनों के जीवन में हम आशा का संचार भी कर सकते हैं। हमारे देश में 4 करोड़ 74 लाख 94 हजार भूमिहीन खेतीहर मजदूर हैं। हमारे पास 4 करोड़ 59 लाख 61 हजार हैक्टर जमीन है। इस पड़ती जमीन को अगर इन चार करोड़ 74 लाख लोगों के बीच में बांट दिया जाए तो एक व्यक्ति को एक हैक्टर से अधिक जमीन मिल सकती है। एक हैक्टर जमीन कम नहीं होती है। ये खेत में पसीना बहाने वाले लोग ह, यही अनाज पैदा करने वाले लोग हैं, ये तो एक हैक्टर जमीन में सोना निकालेंगे। लेकिन इस जमीन को अभी खेती करने लायक बनाना है। इसको खेती करने के लायक बनाने के लिए श्री नायक का यह प्रस्ताव है कि भूमि सेना का गठन किया जाए। 4 करोड़ 74 लाख लोग जो भूमि-हीन हैं उनकी शक्ति का सदुपयोग किया जाए। ये लोग इस भूमि को खेती योग्य बना सकते हैं। क्या एक आदमी एक हैक्टर जमीन को खेती योग्य नहीं बना सकता है ? बना सकता है। लेकिन मेहनत करने की जरूरत है, काम में उनको लगाने की जरूरत है, उस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, जो इतनी बड़ी सम्पदा बेकार पड़ी हुई है उसका सदुपयोग करने की जरूरत है।

जनता पार्टी ने एक आर्थिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य स्वीकार किया था। यह 12, 13 और 14 नवम्बर, 1977 को स्वीकार किया गया था। नवम्बर, 1978 खत्म हो गया है। दिसम्बर शुरू हो गया है। एक साल और पन्द्रह दिन से अधिक हो गए हैं। आज फिर मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। पृष्ठ 27 पर स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया गया है कि खाद्य

[श्री यमुना प्रसाद शास्त्री]

सेना के माध्यम से शिक्षित बेरोजगारों की बेकारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। तथा भूमि सेना के माध्यम से ग्रामीण बेकारों को काम दिया जा सकता है। यह आर्थिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य हमारे सामने है जिसको स्वीकार किया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि इसकी पूर्ति की दिशा में क्या कदम उठाया गया है? समय आ गया है कि इसकी पूर्ति की जाय। जो नीति रखी है उसको कार्यान्वित करें। भूमि सेना अगर बनायें तो यह बेकारी ही दूर नहीं करेगी, गांवों में 4 करोड़ 74 लाख 94 हजार लोगों को काम तो देंगे ही, साथ ही जब यह जमीन खेती लायक हो जायगी, सिंचाई के साधन हो जायेंगे तो उस पर खेती होगी और उसके अनाज उत्पादन में करीब 4 करोड़ टन की वृद्धि भी होगी। आज जिनके पास एक इंच जमीन नहीं है उनको 1, 1 हैक्टर जमीन मिलेगी और उसके कारण इस जमीन में अनाज पैदा होगा। पिछले साल काफी अनाज पैदा हुआ जिसको हम पड़ोसी देशों को भेज रहे हैं। लेकिन अगर 4 करोड़ टन अनाज और बढ़ गया तो हमारा देश आत्म निर्भर तो होगा ही, साथ ही साधनहीन लोगों को जीविका का साधन मिल जायगा। इजरायल ने रेगीली जमीन पर खेती की है, वहां के नवयुवक और युवतियों ने मिल कर के भूमि सेना के रूप में संगठित होकर के रेत में गेहूं के खेत बनाये। रूस में भयंकर ठंडक में खेती की जाती है। इंग्लैंड में जहां बिलो फ्रीजिंग पोइंट टेम्परेचर होता है वहां आलू और गेहूं उगाते हैं। यूरप के देशों में टंडा क्षेत्र में खेती की जाती है। तो क्या हम अपने देश के पर्वती क्षेत्रों में खेती नहीं कर सकते हैं? इसलिये हमारा संकल्प केवल प्रस्ताव के रूप में न रहे, हम चाहते हैं कि देश की संसद इसको स्वीकार कर सरकार को निर्देश दें कि संकल्प के माध्यम से भूमि सेना का गठन किया जाय ताकि इस भूमि पर खेती की जा सके जिससे बेकारी दूर हो और भूमहीनों से न्याय मिल सके तथा अनाज की पैदावार बढ़े। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं :

"क्षितिज लाल होता चला जा रहा है, प्रकृति की तुम्हें यह छटा जंच रही है, दबे दीन आहों की ज्वाला धधक कर रुधिर क्रान्ति की यह घटा बन रही है।"

इसलिये मैं चाहता हूं कि इस रुधिर क्रान्ति के लिये विवश न कीजिये और इस संकल्प को सरकार स्वीकार करे और तहेदिल से इसे कार्यान्वित करे, भूमि सेना बनाये और करोड़ों भूमिहीनों के जीवन में आशा का संचार करे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि शासन अपने नीति वक्तव्य में दिये गये वचन को पूरा करे।

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU (Chitter): Mr. Chairman, I support this resolution because it serves two purposes. One is to create employment. The other one is to help the poor people to get land. Here it is said that barren and fallow land has to be reclaimed. But what I say is that crores and crores acres of land have already been assigned and that land also must be reclaimed and brought under cultivation. The land which has been given is lying fallow in many areas; and it has become impossible to provide irrigation facilities there unless that land is levelled and reclaimed. Therefore, not only the fallow land, barren land and assigned land but also the land that has been given under ceiling must also be brought under cultivation.

With regard to assignment, I have to tell one or two things. Assignment to this banjar and fallow land is not completed in many States. Assignment is a State subject because it pertains to land. Land is a State subject. Therefore, the Centre is not having control over it. We want the Central Government to constitute an Implementation Committee, a panel to implement land reforms and also to assign lands. With regard to this assigned of land, through 'D' forms are given, they are not included in accounts, and therefore, they are not accounted for and 'kist' is not collected from the poor people who are given land.

The second thing is—though 'D' forms are given to the poor people, land is not shown to them because it is under the landlord's possession and the landlords are not evicted. Therefore, Government should take interest and instruct the State Governments to see that the landlords are evicted and the land is assigned to the poor people.

Where lands are given to the poor people and where lands were under the possession of the poor people, the landlords are not taking them away and harassing them. Vishrampur and other villages mentioned yesterday or day before yesterday, near Samas-

tipur, are examples of it. Not only in Northern India, but in Southern India also harassment against these poor people whether they are harijans, girijans, belonging to backward communities or economically backward people, is being carried on. That must be put an end to.

In many States land reforms are not being properly conducted or implemented. In many States land reforms have not been brought.

श्री कचरूलाल हेमराज जैन (बालाघाट) : सभापति महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं कोरम चाहता हूं। यहां जनता के 7 करोड़ बेरोजगारों के मामले पर विवाद चल रहा है और आप यहां सदन की उपस्थिति देख लीजिये। एक आदमी कांग्रेस पार्टी का बैठा है और आधा दर्जन सदस्य जनता पार्टी के बैठे हैं। यह मसला बहुत बड़ा है, इसलिये मैं कोरम की मांग करता हूं।

सभापति महोदय : आप कोरम की बात तो उठा सकते ह, लेकिन इस पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है। अगर आप कहना चाहते हैं कि कोरम नहीं है तो यह बात उठा सकते हैं और कोरम की घंटी बजाई जा सकती है।

MR. CHAIRMAN: Let the bell be rung.

SHRI DINESH JOARDER (Malda): But he is not pressing his demand for quorum.

MR. CHAIRMAN: When he raised the question, I asked the bell to be rung. The bell is being rung.

Now there is quorum. He may continue.

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: On March 11 this year, the Minister has given the figures of land taken over under the Ceiling Act in the country—10,62,654 acres. It is very meagre. We must get not less than 50 lakh acres by now. It is not even one-fifth. Therefore, if necessary, the Act must be amended so that they may not go to courts. Though assignment has been given to a large extents no financial assistance has been given to the poor people to reclaim the land, buy seeds, develop the land or provide irrigation facilities. Financial assistance is necessary and the Government has not though over the matter. When Shri Sanjivayya was Chief Minister of Andhra, he moved the Central Government to give at least Rs. 200 crores for this purpose. It is not an ordinary issue. Therefore, the Government should think over the matter and set apart a large sum for reclamation of the land.

In some States joint farming societies are being constituted and they are working very well. Unfortunately they are constituted only for the sake of Harijans and Girijans but not for others. My plea is that such societies have to be constituted wherever there are lands available. There are vast tracts of land which are not assigned even today. Unless they are reclaimed and other facilities are given, the people will not go there and settle down. Therefore, reclamation has to be taken up. Where reclamation is done, that land has to be distributed to the poor people. Seeds have to be supplied to them. To do all these things, man-power is required. Are we going to create a land army or not? Lakhs and lakhs of people are required in every State. If we give financial assistance to the States, it is quite possible for them to do all these things. In the sixth plan nothing is mentioned regarding this. Therefore, I request the Minister to see that a large sum or money is allocated for this. If our Government is not capable of doing it, they must get money from World Bank or other international organisations. Unless we take it up now itself, it will not be possible for us to complete within 10 to 15 years. This is the proper time because we are going to launch a plan. Because the hon. Minister is very much particular about the development of agriculture he must take it up in the Cabinet and also with the Planning Commission and see that a sizeable amount is allocated for this purpose.

श्री दलपत सिंह परस्ते (बहडोल) : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से भूमि सेना के बारे में बोलना चाहता हूं। आज देश ऐसी जटिलताओं में जकड़ा हुआ है कि एक तरफ जहां लाखों लोग बेरोजगारी से तड़फ रहे हैं तो दूसरी तरफ लोग सुख की नींद सो रहे हैं। कांग्रेसी हुकूमत में जो तांडव नाच नचाया गया उस का वर्णन नहीं किया जा सकता। हमारे मध्य प्रदेश में आदिवासियों और हरिजनों की जमीन तो दी गई लेकिन वह जमीन बतायी नहीं गई। अब पता चलता है कि किसी को नदी में जमीन दी गई, किसी को ऊबड़खाबड़ जमीन दी गई और किसी को मरघट में जमीन दी गई। इस तरह से यह जमीन बिना देखे वितरित की गई। वास्तव में सिर्फ जमीन बांटने का ढोंग रचा गया था। मैं अब अपनी सरकार से यह मांग करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि जमीन किसानों का पेट है। अगर इस पेट को नहीं भरते तो एक दिन ऐसा आएगा कि इस देश में खूनी क्रांति हो सकती है। आज आदिवासी और हरिजन तड़प रहे हैं जमीन के लिए और बड़े बड़े पूंजीपति सैकड़ों हैक्टेयर जमीन अपनी फैक्ट्रियों के नाम पर दबाए हुए हैं। मैं इस सभा के माध्यम से मांग करता हूं कि वहां से जमीन निकाल कर गरीबों को दी जाय और एक गरीबों की भूमि सेना तैयार की जाय। उस भूमि सेना के माध्यम से उस ऊसर भूमि को समतल और उपयोगी बना कर उसे उन्हीं लोगों को वितरित किया जाय जो भूमि सेना में भर्ती हैं और सरकार उस में सहायता दे। उन को खाना और कपड़ा दे और इस के बाद जब जमीन उन को प्राप्त हो जाय तो उन को वित्तीय सहायता दी जाय जिस से वे अपने बाहुबल से उस जमीन में खेती कर सकें, खुद, अपना उस में पेट भर सकें और राष्ट्र का भी भरण पोषण कर सकें।

बेरोजगारी का जो सवाल है उस के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जहां 80 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं और 20 प्रतिशत अन्य उद्योगों पर निर्भर हैं वहां सरकार को देखना चाहिए कि वह देहातों में बसने वाले लोग जो शहरों में अनाज पहुंचाते हैं अगर उन को सही ढंग से जमीन नहीं देंगे तो वह खेती कैसे करेंगे, उत्पादन कैसे बढ़ायेंगे। इस के साथ साथ उन के लिए खाद-बीज और पानी की व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तभी तबह अपनी खेती अच्छे ढंग से कर सकते हैं और अच्छे ढंग से उस जमीन को उपजाऊ बना कर उस में पैदावार कर सकते हैं।

मैं नायक जी के प्रस्ताव का तहे दिल से समर्थन करता हूं और मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

*SHRI S. G. MURUGAIYAN (Nagapattinam): Madam Chairman, on behalf of the Communist Party of India, I support this Resolution under discussion.

In 1977 the number of unemployed in the country is of the order of 1.08 crores. As compared to 1976, the unemployment in the country has gone up by 12 per cent. Besides this, we must bear in mind that 14 crores of agricultural labourers are employed for only 170 days in a year. All of us are aware that the entire rural population in the country is employed only for six months in a year. This Resolution speaks about the creation of a land army with the objective of reclaiming 5 croes hectares of land with the financial assistance from Government and through this to solve unemployment problem in the country. I am personally of the view that this programme completely will not help us in eradicating unemployment from the country.

It is acknowledged all over the world that our country is an agricultural country and 80 per cent of people live in rural areas depending on agriculture. In the present capitalistic structure of our society, it will not be possible even to reduce the rigours of unemployment, leave alone the question of elimination of unemployment without introducing land reforms effectively throughout the country. We cannot do anyhing worthwhile without effective land ceiling laws. Mahatma Gandhi, as early as 1934 in Karachi Congress, gave us the clarion call of 'Land to the Tiller' through which he foresaw that all the other avenues for full employment will flow throughout the country. No Government so far, except the Kerala Government has implemented this basic concept for the naion's welfare. Whether it is the former Congress Government at the Centre and the Governments of the Congress Party in the

*The original speech was delivered in Tamil.

States or the present Janata Party Government, land reform has been getting the lowest priority. The former Government of Congress Party accepted land reforms as one of its objective policies but never cared to implement it. But the Janata Government has not only been frowning at it but in fact it favours the land-lords.

Our hon. Prime Minister has been repeatedly saying that unemployment would be removed within 10 years. I do not know the basis for this claim. Is he going to achieve this with a magic wand or by tantric methods? Unemployment has been growing day by day, by leaps and bounds. Land reform will be the only effective starting point to curb this vicious growth of unemployment.

The Mirasdars and Kulaks occupy poromboke lands and later get them assigned in their favour by with the help of government machinery. The same Government suddenly jumps into violent action and demolish the huts of Harijans on the ground of unauthorised occupation. Even after 32 years of independence, the poor agricultural labour cannot have 2 cents of land for his habitation, though he is engaged in the job of feeding the entire nation. If he shows some resistance, he is attacked with all kinds of lethal weapons. For example, in Kanjewala in the neighbourhood of Capital, the grazing land was re-classified and allotted to the poor Harijans and other backward class people after long and arduous efforts. But the kullaks and Mirasdars displaced them from such lands and they were bold enough to do such encroachments because of their certainty to get support from the Janata Government. How do wo expect unemployment to be eliminated in this kind of atmosphere?

Madam, 48 per cent of our people live below the poverty line. Land reforms including effective implementation of land ceiling laws alone will be able to provide them basic minimum standards of living in this country, especially when right to employment has not yet become a fundamental right in this country. This Resolution, if implemented, may give some temporary relief in the form of some job opportunities. But can the 14 crores of people, who are half-employed and under-employed, get full-time jobs with this kind of a programme? My answer is negative. The land ceiling laws and land reforms should be vigorously implemented. The surplus land that becomes available from implementation of land ceiling laws should be allotted to the landless agricultural labourers, who should also get statutory support from being displaced by vested interests and necessary help for cultivation. Then only unemployment will become a thing of the past in our country.

In this background, on behalf of the Communist Party of India, I support this Resolution.

श्री रामजी लाल सुमन (फीरोजाबाद) : सभानेत्री जी, श्री लक्ष्मी नारायण नायक जी ने जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं, क्योंकि भूमि का सवाल एक बड़ा सवाल है और जब तक इस देश में समुचित रूप से भूमि का वितरण नहीं होगा, तब तक हिन्दुस्तान की हालत बदली नहीं जा सकती—ऐसा मैं मानता हूं।

दुर्भाग्य यह रहा है कि हम लोग कहते तो रहे हैं, लेकिन किसी भी समस्या को सुनियोजित और क्रमबद्ध ढंग से सुलझाने का हमने प्रयास नहीं किया है। बेरोजगारी की भी बात इस सदन में बहुत कही गई है—लेकिन बेरोजगारी को खत्म करने का क्या स्वरूप होगा, किस तरह से उस को दूर करेंगे—इस पर सरकार अभी तक स्पष्ट नहीं है। देहाती आंचल में यह समस्या बहुत विशाल रूप में फैली हुई है और उस का सम्बन्ध भूमि से है—इस लिये जब तक इस के निराकरण के लिये जोरदार प्रयत्न नहीं करेंगे—मैं ऐसा महसूस करता हूं कि यह अच्छा काम जो आप के माध्यम से होने वाला है, वह हो नहीं पायेगा। बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये बहुत जरूरी है कि हिन्दुस्तान की वह बहुसंख्यक जनता जो देहात वासनी है उस जनता में विश्वास जाग्रत करने के लिये और उस जनता को रोजी-रोटी उपलब्ध कराने के लिये आवश्यक है कि बड़े लोगों के पास जो भूमि है, सरकार उस को प्राप्त करे और जो भूमि पहले से उन के पास है, उन सब को सरकार शीघ्र भूमिहीनों में वितरित करे।

जब तक हुआ यह है कि या तो सुरक्षा न जमीन दी ही नहीं और कहीं पर दी है तो ...

[श्री रामजी लाल सुमन]

तक उस पर कब्जा नहीं हो पाया है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं—ये आंकड़े श्री भानु प्रताप सिंह जी, कृषि राज्य मंत्री, ने एक प्रश्न के उत्तर में दिये थे। इस समय देश में 44,69,834 एकड़ भूमि फालतू है, सरप्लस है, जिस में से 23,28,17 एकड़ भूमि सरकार ने टेकओवर की है, जिस में से 14,84,946 एकड़ भूमि डिस्ट्रिब्यूट की गई है। मुझे दूसरे प्रदेशों के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में मुझे जानकारी है। वहां की सरकार तो भगवान राम के नाम पर चल रही है। वहां पर कहीं कोई जमीन बंटी है—मुझे तो ऐसी कोई सूचना नहीं है। यदि कहीं पर कुछ बंटी भी है तो निश्चित रूप से उन लोगों को कब्जा नहीं मिल पाया है और जब तक कब्जा नहीं मिलेगा—आप अपने कागजों में बांटते रहिये, लेकिन उस के कोई मायने नहीं हैं। एमर्जेन्सी में भी यही हुआ। अगर कहीं कोई भूमि बंटी—हिन्दुस्तान के शेडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों को, तो गांव का लोकपाल उस आदमी के सामने जा कर खड़ा हो जाता था कि या तो परिवार नियोजन कराओ या भूमि छोड़ दो। वही प्रक्रिया आज भी विद्यमान है और आज भी उस के विभाग में वही भय बैठा हुआ है। वह आज भी यही समझता है कि जमीन लूंगा तो मुझे उसी तरह का मूल्य चुकाना पड़ेगा।

माननीय सभानेत्री जी, मेरा कहना यह है कि श्री लक्ष्मीनारायण नायक जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन मैं करता हूं और कहता हूं कि हिन्दुस्तान की बेरोजगारी दूर करने लिए जब तक परती और फालतू जमीन हिन्दुस्तान के छोटे लोगों को नहीं दी जाएगी तब तक यह दूर नहीं हो सकती है और देश का कायाकल्प नहीं हो सकता है। दुर्भाग्य यह है कि राष्ट्रीय सरकार ने बार बार राज्यों के मुख्य मंत्रियों को खत लिखे लेकिन उसके बावजूद भूमिसुधार के काम में कोई प्रगति नहीं हुई। आज भी देश के अंचल में—कागजों में चाहे कुछ भी हो—बड़े बड़े किसानों के पास तीन-तीन, चार-चार हजार एकड़ जमीन बरकरार है। मैं गांव का रहने वाला हूं और मैं जानता हूं कि वहां इन लोगों ने अपने लड़के के नाम, लड़की के नाम, रिश्तेदारों के नाम जमीन कर रखी है और ऐसे लोगों के नाम जमीन कर रखी है जिनको मालूम ही नहीं है कि उनके नाम जमीन है। जो उनकी जमीन जोतता है उसके नाम जमीन है। वह उनके खेत में हल चलाता है लेकिन पैसा वह आदमी कमा रहा है जो यह कहता है कि हमारे यहां वह मजदूरी करता है, काम करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पूरे हिन्दुस्तान में भूमि सुधार के काम में तेजी लायी जाए और मुख्य मंत्रियों को सख्त आदेश दिये जाएं जब तक आप भूमि सुधार नहीं करेंगे तब तक कोई भी काम चलने वाला नहीं है। इसलिए कृषि मंत्री जी, श्री लक्ष्मीनारायण जी नायक ने जो प्रस्ताव रखा है उस पर गौर फरमायें।

एक बात मुझे और कहनी है। श्री मंगलदेव जी विशारद जो इस समय लोक सभा के सदस्य हैं, वे कांग्रेस पार्टी में थे और संविद सरकार में मंत्री भी थे। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने श्री मंगलप्रसाद जी विशारद के सभापतित्व में एक विशारद कमेटी बनायी थी। उसके जिम्मे यह काम था कि इस प्रदेश में जिन लोगों के पास फालतू जमीन है, मेहरबानी करके उसके आंकड़े पेश किये जाएं। श्री कमलापति जी त्रिपाठी एण्ड कम्पनी जो कांग्रेस पार्टी में थे और आज भी हैं उन्हीं के पास सबसे ज्यादा जमीन है। यह बात उन्हीं पर लागू नहीं होती। किसी भी दल के सदस्य हों अगर उस कमेटी की सिफारिशों पर ईमानदारी से अमल हुआ होता तो भी बहुत सी जमीन भूमिहीनों के पास पहुंच जाती। जब जयप्रकाश जी का आन्दोलन उत्तर प्रदेश में हुआ और भूमि के वितरण का सवाल आया तो सभी लोगों ने यह कहा कि विशारद कमेटी की सिफारिशों पर तत्काल अमल हो। चाहे यह सरकार अच्छी है या बुरी है, हमारी सरकार नेकनियती से विशारद कमेटी की सिफारिशों पर अगर अमल करना शुरू कर दे तो निश्चित रूप से उसके अच्छे परिणाम सामने आयेंगे।

मुझे बस इतना ही कहना है कि कृषि मंत्री जी नायक जी के प्रस्ताव के ऊपर गौर फरमायें और हिन्दुस्तान के बहुसंख्यक लोग जो गांवों में रहते हैं, उनको रोजी-रोटी का एक जरिया दें। निश्चित रूप से एक अच्छा काम यह सरकार कर सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।

श्री कचरूलाल हेमराज जैन (बालाघाट) : सभानेत्री जी, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नायक जी का प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। जब से हम चुन कर इस सदन में आये हैं तब से देश की जनता की निगाहें नयी सरकार की तरफ, नये वातावरण की तरफ लगी हैं। हमारी सरकार ने हमारे प्रधान मंत्री जी ने संकल्प भी लिया है और नायक जी का जो प्रस्ताव है और माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, अगर हमने इस समय देश के बेकारों को काम दे दिया और बेकारी की समस्या को अच्छे ढंग से हल कर लिया तो हम सीना अपनी जनता के बीच जा कर कुछ कह सकेंगे और उससे समर्थन पा सकेंगे।

सभापति महोदया, मैं एक बात बतलाता हूं कि तीस दिन रह गये हैं पिछले दस सालों को पूरा होने में। ये दस साल 1969 से 1978 तक के हैं। इन दस सालों में जितनी सरकारें आयीं, जितने नेता शासन में बैठे उन्होंने देश की जनता के सामने बहुत सी बातें कहीं। 1971 में और 1972 में जो लोग शासन

में आये उन्होंने बड़े बड़े नारे दिये कि गरीबी हटा दी जायेगी । 1977 में नारा लगा, जिसमें हम लोग भी सम्मिलित थे कि देश से बेरोजगारी मिट जाएगी । इस नयी सरकार के शासन के दो वर्ष पूरे होने को आये, तीन वर्ष रह गये हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे माननीय कृषि मंत्री जी इस ओर ध्यान दें । हमारी सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये । हमारी सरकार ने कुछ कदम उठाये हैं लेकिन वे इतने पर्याप्त नहीं हैं कि जिससे जनता को संतोष हो सके । भूमि के वितरण की ओर हमारी सरकार का सबसे पहले ध्यान होना चाहिए । हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार इस ओर विशेष ध्यान देगी ।

मैं अपने मध्य प्रदेश के बारे में बतलाना चाहता हूं । हमारे प्रदेश में, यू० पी०, राजस्थान के बार्डर पर चम्बल घाटी है । वहां की भूमि के बारे में हमें देखना चाहिए कि हम उसका किस तरह से उपयोग कर सकते हैं । हमको सुनने में मिला था कि विश्व बैंक से कुछ पैसा मिला है और चम्बल घाटी की भूमि को कृषि योग्य बनाया जा रहा है । आज गांव गांव में भूमि पड़ी हुई है । कृषक वर्ग और मजदूर लोग रोजगार के लिए तड़प रहे हैं । इस भूमि को आप उनको दें और जो आपकी नीति है उसको आप कार्यान्वित करें । जो भूमिहीन हैं उनको आप भूमि दें ।

भूमि वितरित हुई है, यह ठीक बात है । मैं नहीं कहता हूं कि भूमि का वितरण नहीं हुआ है । लेकिन सारी भूमि अभी तक खेती के नीचे नहीं लाई जा सकी है । हमारे कृषि मंत्री महोदय प्रान्तों के मंत्रियों तथा मुख्य मंत्रियों को लिखें कि जो भूमि दी गई है वे यह भी देखें कि उनमें खेती हो रही है या नहीं हो रही है और अगर नहीं हो रही है तो उस भूमि में खेती करवाएं और अगर वह भूमि इस वास्ते खेती के नीचे नहीं लाई जा रही है कि उसमें खेती नहीं हो सकती है तो उसको खेती योग्य बनाएं और खेती योग्य बना कर उस भूमि में उन लोगों से खेती करवाएं । जो भूमि वितरित की गई है उसमें से 20–25 प्रतिशत भूमि ही ऐसी है जिस पर लोग थोड़ी बहुत खेती कर पा रहे हैं और वह भी चार-चार और पांच-पांच साल मेहनत करने के बाद । अभी भी 75 प्रतिशत ऐसी भूमि है जिसके पट्टे तो उनको मिल गए हैं लेकिन उस भूमि को वे लोग खेती योग्य नहीं बना पाए हैं । ये पट्टे भूतपूर्व शासकों ने केवल अपना स्वागत कराने के लिए, अपने गले में हार और मालाएं पहनवाने के लिए दिए थे । वह भूमि खेती करने योग्य हो तो उसको खेती करने योग्य बनाया जाना चाहिये । उस भूमि को शासन द्वारा दुरुस्त करवा कर खेती योग्य बना कर उनको दिया जाना चाहिये । यह मांग मैंने आपसे पहले भी की थी । इससे देश की उपज बढ़ेगी और उन लोगों को जीविका का साधन मिलेगा । यह राज्य देश के हितों का तकाजा है कि उसमें खेती हो ताकि देश का उत्पादन बढ़े ।

यह जो तर बतर की गलत बात है अब इसको आप समाप्त करें । अब तो 1978 समाप्त हो रहा है और 1979 लग रहा है । इस 1979 से कृषि मंत्री महोदय एक नई शुरुआत करें । तर बतर के नारे को समाप्त करें । करोड़ों लोगों की जिन्दगी की ओर विशेष ध्यान दें । अन्यथा नायक जी ने जो कहा है कि वह सेना उलट पड़ेगी तो न हम और न आप बच पाएंगे और दुनिया की कोई ताकत हमको बचा नहीं सकेगी । यह देश का नारा है कि भूमिहीनों को कृषि योग्य भूमि बना कर दी जाए । इस पर आप गहनता से ध्यान दें । यह तर बतर की समाप्ति का हम स्वागत करेंगे क्योंकि इसने देश को बड़ा झंझोरा है । नया साल 30 दिन के बाद शुरू होगा । नए साल को कृषि मंत्री महोदय एक दूसरे ही रूप में मनाएं और उसकी शुरुआत करें । नायक जी के प्रस्ताव का सदन में चारों ओर से, हर वर्ग तथा हर पार्टी की ओर से स्वागत किया गया है और इसका शुभारम्भ वह नए साल से करें । इस प्रस्ताव का आप भी स्वागत करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं । मैं आशा करता और कामना करता हूं कि देश में एक नया वातावरण तैयार करने में आप हमारी मदद करेंगे ।

श्री हुकम देव नारायण यादव (मधुबनी) : नायक जी के प्रस्ताव की जो विचारधारा है वह किसी साधारण आदमी की दी हुई नहीं है । जिस आदमी ने समाजवाद की नई व्याख्या की थी और जिस ने भारत की मिट्टी के संदर्भ में सारी बातों को देखा था और उस की सब से पहले कल्पना की थी वह डा० राम मनोहर लोहिया थे और उन के ही विमान में यह बात आई थी कि हिन्दुस्तान में करोड़ों लोग बेकार हैं और उनको काम पर लगाया जाना चाहिये और इनको इस तरह से ही लगाया जा सकता है जो सुझाव इस प्रस्ताव में दिया गया है । हिन्दुस्तान में करोड़ों लोग बेकार हैं । साथ ही करोड़ों एकड़ जमीन बेकार पड़ी हुई है । गांवों में जो बसने वाले किसान हैं और उनके बेटे हैं वे पढ़ लिख कर बेकार हो जाते हैं और उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है । शहरों के अन्दर जो पढ़े लिखे बेकार हैं और जो रोजगार दफ्तरों में अपने नाम दर्ज करवा लेते हैं खाली उन्हीं के लिए हंगामा किया जाता है । जो बड़े बाप के इस तरह के बेटे होते हैं उनके लिए ही सब बातें की जाती हैं, हंगामा किया जाता है । लेकिन जो किसान का बेटा है, जो मैट्रिक पास कर लेता है अथवा आठवीं या नवीं कक्षा तक पढ़ लेता है और बेकार बैठा रहता है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, उसके लिए कोई हंगामा नहीं किया जाता है । इन बेटों को तभी काम में लगाया जा सकता है जब इस तमाम बंजर पड़ी हुई भूमि को तोड़ कर उपजाऊ बना कर उनको दे दिया जाए । इससे देश का उत्पादन भी बढ़ सकता है और उन नौजवानों को जो गांवों में बेकार हैं काम भी मिल सकता है ।

भूमि समस्या के बारे में सब से बड़ी बात यह है बंजर जमीन को तोड़ कर केवल भूमि सेना को काम ही

[श्री हुकम देव नारायण यादव]

नहीं देना है बल्कि भूमि सेना को काम यह भी देना है कि भूमि सुधार कानूनों को बहु कठोरता के साथ लागू भी करवाए। आज भी मेरे बिहार के अन्दर ऐसे परिवार हैं जिन के पास 18–18 हजार एकड़ जमीन है। बाबू रघुवंश नारायण सिंह कुरसैला और पूर्णिया के अमीन बाबू के पास 18, 20 हजार बीघा जमीन है, दरभंगा महाराज के पास हजारों एकड़ जमीन है। तो एक तरफ़ हजारों हाथ जो नौजवान गांवों में बेकार हैं उन्हें काम नहीं मिल रहा है, और दूसरी तरफ़ जिनके पास ज्यादा जमीन है वह अपनी जमीन पर सघनता के साथ खेती नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका औसत उत्पादन नहीं होता है। एक एकड़ जमीन में जहां साल में 100 मजदूर लगने चाहिये वहां अधिक जमीन जोतने वाले 20,25 मजदूर से ही काम चला लेते हैं इसलिए कि थोड़ा बहुत भी उपज हो जाय तो उनके दरवाजे अनाज का ढेर लग जाता है। और जहां 2 एकड़ से कम जमीन जोतने वाले परिवार हैं उनके पास श्रम शक्ति ज्यादा है। एक एकड़ जमीन में साल में 10 मजदूर लगने चाहिये और उस परिवार में 10 आदमी हैं और आधा एकड़ जमीन है तो उतने में ही 10 आदमी का श्रम लगता है। तो कहने का मतलब यह है एक 2 एकड़ से कम जमीन में पूरा जितना श्रम लगना चाहिए उससे अधिक श्रम का उपयोग होने के कारण अनार्थिक हो जाता है और 25 एकड़ से ज्यादा जमीन रखने वाला जो है वह उतने मजदूर नहीं लगा सकता जितने कि लगाने चाहिये तो वह भी अनार्थिक हो जाता है। इसलिये यह कानून बनाना पड़ेगा कि 2 एकड़ से कम जमीन किसी परिवार के पास न रहे। इस बारे में आपको नये सिरे से सोचना होगा। आप देखें 2 एकड़ और 1 एकड़ से कम जमीन ज्यों ज्यों होती जाती है वह कृषक भूमिहीन मजदूर बनता चला जाता है। हर साल देश में लगभग 2, 3 प्रतिशत किसान कृषक मजदूर बनता चला जा रहा है क्योंकि अधिक उत्पादन नहीं होता है। इसलिये भूमि सुधार कानून को सही ढंग से लागू करने के लिये बहुत ही गम्भीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा। हम लोग हमेशा नारा लगाते रहे हैं कि जो जमीन को जोते बोये, वही जमीन का मालिक होवे। जमीन कोई जोतता है, फसल कोई बोता है और काटता बड़ा जमीन मालिक है। भूदान के जरिये जितनी जमीन बांटी गई वह तमाम जमीन वाले अपनी जमीन को बेच चुके हैं, उस जमीन पर खेती नहीं कर सकते हैं। इसलिये माननीय शास्त्री के प्रस्ताव को सरकार को मान लेना चाहिये और करोड़ों नौजवानों के हाथ में काम देने के लिये भूमि सेना और साक्षर सेना का गठन हो। यह जब करेंगे तभी कोई कारगर कदम उठा सकते हैं और देश के सामने एक नई व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। मैं चाहूंगा कि नये साल में जनता पार्टी की सरकार नये वातावरण में इसको लागू कर दे और हमारे माननीय भानु प्रताप सिंह जी जमीन और खेती के अच्छे जानकार हैं वह इस पर गहराई से विचार करें, नहीं तो कोई कमीशन बनायें और गहराई से विचार कर के नये सिरे से इस काम को लागू करें। तब देश में एक नया वातावरण बनेगा।

SHRI CHITTA BASU (Barasat): Madam Chairman, I rise to support the Resolution moved by Shri Laxmi Narain Nayak. I think, this is the most appropriate Resolution at the moment to really tackle the problem of rural unemployment and build a new life for the millions of our country.

I want to reveal certain figures to the House with the hope that the hon. Minister, who is accepted as one of the experts in land-relations and land-tenure, will not try to shy away from replying to this question.

My first point is that statistics show that the number of agricultural labour or our country is fast increasing. I think, he cannot deny this fact, particularly when I quote certain figures.

The landless who were only 18 per cent of the rural population according to the 1961 census had risen to 30 per cent by the time of the 1971 census. But in the same period, you will be surprised to know that the percentage of owner-cultivators has declined from 60 per cent in 1961 to 50 per cent in 1971. This means that more and more poor peasants are being alienated from the land, more and more people are becoming landless and more and more people are joining the army of the rural unemployed. This is the lesson the hon. Minister should take from the figures I have just quoted. This is an average figure but I know it for myself and for certainty also that this varies from State to State and even from region to region in the same State. It is widely known that in States like Andhra Pradesh, Tamilnadu, Kerala, Bihar, Orissa and Maharashtra the landless agricultural labour really constitute anywhere between 40 and 50 per cent of the total rural population. Now if we have this very basic problem before us, I think Mr. Naik's proposal is the only panacea to tackle the problem.

Now the question of land reforms has been raised. I also know that that is also an important matter which the government cannot ignore. I have

got complaints against this government as well as the previous government. So far as the previous government is concerned, it is better to ignore than to remember it. Even after two full decades the available surplus after the implementation of the land ceiling laws is disappointing—I say in the mildest form. It is disappointing because, according to the government and the Agriculture Ministry there is only 38 lakhs acres of land which are surplus. It is incredible, I feel. This is the single fact which really determines the very attitude of the government towards the basic question of land reforms. As I have mentioned it earlier also and I say that with all responsibility. Dr. Mahalanobis, an eminent economic of our country....

AN HON. MEMBER: He is a statistician.

SHRI CHITTA BASU: He is not only a statistician but a renowned economist also.

According to Dr. Mahalanobis, in the late fifties he estimated that if the standard 18 acres of land is the basic ceiling, then a total of 600 million acres of land will be made available as surplus to be distributed among the landless. This is the statement made by Dr. Mahalanobis. Leave it aside. Let us have Government's committee. The Dandekar Committee in the late fifties suggested that there will be 400 million acres of land available as surplus to be distributed among the landless

16 hrs.

Madam, now, we come to what the Government says. According to them, it is only 38 lakhs acres which are available as surplus. If the revised Land Ceilings Act is implemented, it will come to 5.8 million, *i.e.*, 53 lakhs acres that are to be found surplus. But, where have the surplus lands gone? Where have they been buried? My hon friend from Bihar said that they have gone to Maharaja of Darbhanga. I do not mention anybody's name. There are maharajas and rajas, X, Y, or Z, I do not mean anybody. They have swallowed the lands. Unless the Government is serious to really implement the Land Ceilings Act properly, the question of land reforms is not going to be solved.

Now I want to mention one thing. According to the Planning Commission, even to-day, based on the records of the 1971 Census, the surplus land, even now, is more than 200 lakhs acres. According to this particularly Minister it is only 53 lakhs whereas the Planning Commission says that even to-day, it is 200 lakhs.

Madam, I again say that, according to the Census Report of 1971, a mere five per cent of the top landlords who possess more than twenty-five acres each own around one hundred million acres of agricultural land. If genuine land ceiling laws are enacted, and implemented determinedly with the aid of the popular committees at the village levels, minimum surplus available would be 300 lakhs acres. Then, Sir, I must remind you that according to the National Sample Survey, potential surplus is 58.54 million acres or ten times the officially estimated surplus is—*Times of India*, September, 23.

Now, I would ask the Government of India when the available surplus is 500 lakhs acres, they are estimating it at only 53 lakhs acres—one-tenth of the total available surplus—what does the Government propose to do and change for the better—for releasing the land and distributing it among the landless?

In this connection, I would only say with a sence of anguish that Government is not serious; even the Prime Minister is not serious because he is on record having said that even by the implementation of the land ceiling Acts, very little will be made available for the distribution among the landless.

Is it the way the Prime Minister should tackle the matter? Is it the

[Shri Chitta Basu]

way that we should scuttle the very proposal of land reforms? Is it the way that the land reforms can be implemented? And is it the way to request the Andhra Pradesh Government to give 2,000 acres of land to the Raja of Chellapalli?

Would the Government revise its stand really and take the land reforms measures seriously and distribute the land and liquidate the rural unemployment and usher in a new era in the countryside of ours?

MR. CHAIRMAN: Before I call Mr. Ugrasen, is it the pleasure of the House to extend the time of the discussion? Those in favour of it may please say 'Aye'.

SEVERAL HON. MEMBERS: Aye.

MR. CHAIRMAN: How much time does the Minister need? Because, after him, the Member has the right to reply to the debate.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) : I won't take more than 15 minutes.

MR. CHAIRMAN: All right. Let Shri Ugrasen continue.

श्री उग्रसेन (देवरिया) : सभापति महोदय, जैसा कि हमारे अन्य मित्रों ने कहा है, मैं श्री नायक को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस सदन का ध्यान केवल सदन का ही नहीं, बल्कि इस सदन के द्वारा पूरे देश की जनता का ध्यान—इस समस्या की ओर आकृष्ट किया है। मैं एक वाक्य में कहूं कि हमारे गुरु लोहिया जी को यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी यदि नायक जी का प्रस्ताव यह सदन स्वीकृत कर लेता है और सरकार मान लेती है। हम तो उन लोगों में से हैं जिन्होंने जब से होश संभाला है सियासत में बराबर नारा लगाते रहे हैं और वह नारा आज भी कारगर है, अगर इस नारे को हमारी जनता पार्टी की सरकार और माननीय कृषि मंत्री जी की सरकार मान ले तो जितना भी चित्त बसु साहब चिल्ला कर कह रहे थे उन सब का इलाज हो जाय, सब रोगों की एक ही दवा हो जायेगी और यह मर्ज समाप्त हो जायेगा। अफसोस की बात है, सरकारें आईं और चली गईं। हम भी आएंगे और चले जाएंगे, मगर वही बात है मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की। क्या हालत है, जरा मुलाहिजा फरमायें। हमारा नारा था कि दस बीघा जो सवा छ: एकड़ के बराबर होता है, दस बीघा से अधिक जमीन जब्त करेंगे और बांटेंगे।

16.07 hrs.

(SHRI N. K. SHEJWALKAR *in the Chair*)

पांच व्यक्तियों के परिवार में अगर सवा 6 एकड़ से अधिक जमीन है तो वियतनाम की तरह, लाओस की तरह, कम्बोडिया की तरह, चीन की तरह और बर्मा की तरह उस को जब्त कर के बांटेंगे। मैं ने बर्मा में भी भूमि का वितरण 1953 में जा कर देखा. . . (व्यवधान) . . बिहार के बहुत बड़े राजा हैं रघुवंश नारायण सिंह, हम लोगों के बहुत नजदीकी हैं, इसलिए मैं जानता हूं उन के पास 22 हजार एकड़ जमीन है। बहराइच के एक सरदार साहब हैं, नाम क्या लूं, मंत्री जी खूब अच्छी तरह जानते हैं, कांग्रेस के बहुत बड़े-बड़े नेता हैं, उन के पास इस समय कुछ नहीं तो 2 हजार एकड़ जमीन है। गोरखपुर के सरदार सुरेन्द्र सिंह मजीठिया के पास महज 1800 एकड़ जमीन है। मामा, चाचा, ताऊ, नाना, दादा, दादी आदि के नाम और कुत्ते बिल्लियों के नाम पर वह जमीन बंटी हुई है। कांग्रेसी राज में क्या हुआ ? कागज पर जमीन बांट दी गई और वह जमींदार लोग हम लोगों से बड़े रोब के साथ कहते हैं कि अरे साहब, आप जमीन पर आ कर जमीन बांट रहे हैं, हम तो कागज जोत रहे हैं। तो कागज बंटा है। इन तीस वर्षों में ये कागज के पट्टे बंटे हैं। दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। जमीन गरीबों को नहीं दी गई है और मैं कहना चाहता हूं, अगर जमीन गरीबों को आज नहीं देंगे तो मैं चेतावनी देता हूं, मेरे गुरु लोहिया जी कह कर मर गए, चले गए हैं, आज हैं नहीं, सारा झंझट इस जमीन से है और अगली जो क्रान्ति इस देश में होने वाली है वह हो कर रहेगी और वह इसी जमीन पर होगी।

इसलिए मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जमीन वालों से और अपनी सरकार से कि जो वह फालतू जमीन है, जो बंजर और कृषि योग्य जमीन है जिस का कुल टोटल शास्त्री जी ने बताया है, वह आप बांटें। मैं भी बता देता हूं 236 लाख एकड़ कृषि भूमि है, 170 लाख एकड़ इस के अलावा परती है और 191 लाख एकड़ एक विशेष तरह की परती है। 597 लाख एकड़ बंजर यह जमीन है और सीलिंग की जो जमीन अब तक बंटी है, उस के बारे में 21 मार्च 1973 को मंत्री जी ने सदन में जवाब दिया है, हर राज्य में जो बंटी है, चित्त बसु जी अपनी राय का भी सुन लें, वह कुल बंटी है 2945863 एकड़, हेक्टेयर नहीं, एकड़। आप कहते हैं कि 38 लाख अभी है, इतनी ही बंटी है। इस का अर्थ यह हुआ कि जहां 7 करोड़ लोग बेकार हैं, भूमिहीन हैं जिन के पास काम है ही नहीं, उन में कम से कम 6 करोड़ एकड़ जमीन बंटनी चाहिए। तीस साल में नहीं बंटी। हम ने उधर रास्ता ही नहीं बनाया। हम उधर जाने की बात सोच ही नहीं रहे हैं। जाना चाहते हैं कलकत्ता और बम्बई का टिकट कटा लिए हैं। इसलिए यह सब बीमारी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जमीन को बांटिए साथ-साथ और

आम के आम और गुठलियों के दाम। आप जमीन बांटिए और 5 करोड़ जो बेकारों की फौज है, उस को बांट दीजिए.. (व्यवधान) तो आप जमीन को बांटें। और जो भूमिहीन गरीबों के बच्चे हैं उन की आप फौज बना दीजिए। । कंवरलाल जी कह रहे थे कि सेना बनायें। उत्तर प्रदेश में हम लोग भूमि सेना बनाने की बात करते थे तो मंत्री लोग भड़कते थे। कहते थे कि ये तो सेना बना रहे हैं, इन को बन्द करो। सेना इस लिए नहीं बनाना चाहते हैं कि पाकिस्तान या बंगलादेश पर हमला करेंगे। इसलिए सेना बनाना चाहते हैं कि उन के पास टैक्टर, हर तरह के हल, कुदाल और फावड़े होंगे, वे पड़ती जमीन पर भिड़ जायेंगे और उस को जोत लेंगे। अगर चीन में ह्वांग्हो की बाढ़ को जो चीन के लोग श्रमदान से खत्म कर सकते हैं तो कोई वजह नहीं है कि यहां की पड़ती जमीन को हम लोग ट्रैक्टर, हल और कुदाल से काट कर खेती योग्य क्यों नहीं बना सकते हैं? और जब यह हो जायेगा तो हमारे देश में प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न हो जायगा और खाने-पीने के मामले में हम आत्मनिर्भर हो जायेंगे। लेकिन सवाल यह है कि हम करें क्या? हम तो यहां पर भाषण दे देते हैं लेकिन प्रस्ताव का क्या हुआ, खुदा जाने।

दिल में आता है लगा दें आग कोहे तूर पर
फिर ख्याल आता है मूसा लाबतन रह जायेगा।

महात्मा गांधी और डा० लोहिया की शिक्षा से हम ओतप्रोत और वशीभूत हैं वरना होना क्या है। इस देश में क्या होना चाहिए? हजारों एकड़ जमीन में हमारे सामने गेहूं की फसल लहलहाती है उन लोगों के नाम से जिनके बाप दादा कभी खेत में गए नहीं। हम कहते हैं—जो जोते बोये वही किसान। इसलिए मैं कहता हूं:

मल्लाह जरा मझधार में चल एक बार
ही चुकता हो जाये,

यूं साहिल साहिल चलने का अंजाम न
जाने क्या होगा।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप जमीन का प्रश्न हल कीजिए। फी परिवार पीछे आप सवा 6 एकड़ जमीन दीजिए। पूरी जमीन का नकशा बना कर आप बांट दीजिए। जो राज्य सरकारें हैं उनका क्या हाल है? उत्तर प्रदेश की सरकार का आप मलाहिजा फरमाइये। उत्तर प्रदेश सरकार ने दो लाख और कुछ एकड़ जमीन सीलिंग से निकाली है जब कि पश्चिम बंगाल में 6 लाख 80 हजार एकड़ निकाली है और अब यह 10 लाख एकड़ हो गई है। वहां पर बटाईदारों की समस्या है। सब से ज्यादा फालतू जमीन हमारे प्रदेश में है लेकिन राज्य सरकारें कुछ नहीं करती हैं। यहां मंत्री जी पर ज्यादा भार पड़ता है तो वे एक लव लैटर, प्रेम-पत्र लिख देते हैं कि राम नरेश जी, आप जमीन को बांट दीजिए लेकिन राम नरेश जी क्या बांटेंगे। जब तक ताकत के साथ जमीन नहीं बांटी जायेगी तब तक जमीन बट नहीं सकती है। मैं हिंसा की बात नहीं कहता हूं क्योंकि मैं तो उस गुरु का चेला हूं जो कहते थे कि हम मारेंगे नहीं किन्तु मानेंगे नहीं। इसलिए जब तक सरकार पड़ती है, बंजर और सीलिंग की जमीन लेकर फी परिवार के हिसाब से नहीं बांटेगी तब तक इस देश में कभी भी न तो शांति हो सकती है और न सुधार हो सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं नायक जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी, और प्रस्तावों को चाहें न मानें लेकिन इस प्रस्ताव को जरूर मान लेंगे।

PROF. R. K. AMIN (Surendranagar): Mr. Chairman, Sir, I am very happy that a Resolution like this has been introduced in this House. I also agree with the sentiments expressed therein and the problems posed before us, the problem being that there is a large number of people—about 7 crores of people—who are unemployed and they should be given employment. The second problem which is posed here in the Resolution is that about five crores acres of land are surplus land which can be brought under cultivation and which should be distributed among the people. Now. I would like to pose certain problems before you consider the prescription given therein. Is it a right prescription? I do not think the prescription given therein is a practical one and even in the interest of the country. Why do I maintain that? Although with the spirit I agree, I also agree with the objectives that this land must be utilised and should be brought under plough, I also agree that those who are unemployed should be given employment without any distinction whatsoever. But whether it should be done by this way or some other way and some other way more economically is to be decided. You will probably agree with me if I mention that some other way which is more economical which will fulfil both the objectives under consideration. I would like to pose a problem to those who are prescribing things in this

[Prof. K. K. Amin]

manner: in India to-day, 70 per cent of the people depend on agriculture. Our total labour force is about 30 crores, of which about 22 crores depend on land. Do you want that the number of people depending on agriculture should increase further in future—i.e. as your population and labour force increase? Or, would you like to find out some other avenue for them to get employment? Is it not possible to employ them in cottage industries, in building social capital and in small-scale industries? Is it necessary to employ them only on land? If you do so, in the next 10 years, 65 per cent of our people will depend on land. All other avenues will be closed.

If you look to the economic development of other countries placed in your situation, like China, Japan or Formosa, you will find that they kept the number of agricultural labour force the same. It means that in course of time, the relative labour force depending on agriculture decreases. To-day it is 72 per cent. After 10 years, it should be 62 per cent. You can achieve it, if you make it a point that the number of people depending on agriculture does not increase. It also means that the increase in the labour force in agriculture must be utilized in non-agricultural avenues. We will have to agree also that we put it to the maximum use—I mean whatever land we have in the sense of producing the maximum output from it. I agree that if the Ceiling Acts had been properly implemented, it would not have been impossible to deal with the situation, the moment we catch hold of such people. (*Interruptions*) I also agree that whatever ceilings you impose—10 or 20 acres, whichever you consider to be economically viable—you can impose and stick to it. Whatever lacunae are there in the law, can also be filled in. After having done it, you have to ask yourself whether you have a minimum-sized holding, below which no economies of scale will be possible. If I have a land of 1 acre, I may not be able to utilize it, availing of the economies of scale. If the land is near the city, I may be able to do so, but in the rural areas even with 1½ acres, you cannot do so. So, why not make it of a certain minimum size, so that it can be utilized economically? That minimum is 2½ or 3 acres of land. Your economic size is 5 or 7 acres. At that level also, there will be a number of people who utilize it at a lower level. (*Interruptions*) I agree that those who are landless, Harijans and Adivasis should be provided with land. But is it not possible to evolve a system of giving employment to everybody? Why not have an employment-guarantee scheme as in Maharashtra? You can introduce it in the whole country. (*Interruptions*) Please see the practicality. Suppose you say that there is a land army. (*Interruptions*) Solving unemployment with the help of land army is not possible. But you can guarantee work to each and every one—who would like to work. They can come to the work-place. If somebody goes there at 9 o'clock and if you tell him that at the end of the day he will get Rs. 7/- or Rs. 9/- for doing some work, it will be good. Having made this arrangement, work should be provided to them. Such work may relate to forestry, building tanks, building roads or bringing uncultivated land under cultivation. Having got such land, it must be given to those who can utilize it to the utmost. Thereby you can give full employment; and at the same time you bring the land which is uncultivable under cultivation where you can ensure maximum return from land. Those who are unemployed should be employed. Unless and until, these two schemes are simultaneously brought in, these problems cannot be solved.

The better way of doing the job is not what is being put in the resolution but as I suggested that work may be guaranteed to each and every one;

and the surplus land should be utilized by giving it to those who can maximise the output.

श्री कचरूलाल हेमराज जैन : यह भूमि सेना अब बन कर रहेगी, इस को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है ।

PROF. R. K. AMIN: Why don't you put your pressure to ensure that work must be guaranteed to every body. The moment you do it, all these problems will be automatically solved. In the rural areas, if people are having 11 acres of land and the ceiling is for 10 acres of land, you would like to take away one acre of land without paying compensation. But you are not imposing any ceiling on the urban property. You are allowing people to have 5 bungalows or 10 bungalows.

श्री उग्रसेन : इस का जवाब मंत्री जी देंगे, हम लोग क्या दे सकते हैं । यह बात तो हम लोग भी कहते हैं । (व्यवधान)

PROF. R. K. AMIN: Those who are working in the factories, they can remain the owners of the factories. But this rule does not apply to the land. Land consists of two aspects. One is free and indestructable part of the soil which is a free gift of nature. But the capital is also invested on land to make it cultivable. Now this is a man-made thing. If you tinker with it, this aspect will be deterforated. That is why, the alternative suggested by me is easier and practicable and the one which is given in the resolution is not practicable in our country.

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मैं प्रारंभ में ही इस बात को कह देना चाहता हूं कि श्री नायक जी के इस प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं । हमारे देश में भयंकर बेरोजगारी है, इसे हम सभी लोग जानते हैं । यह बेरोजगारी जहां पढ़े लिखे नौजवानों के बीच है, वहीं यह ऐसे लोगों के बीच भी है जो पढ़े लिखे नहीं हैं या कम पढ़े लिखे हैं और जो किसी के खेत में कार्य करते हैं, मजदूरों के रूप में कार्य करते हैं । ये तमाम लोग आज बेरोजगार हैं और इन को रोजगार देने की आवश्यकता है ।

चुनाव के पहले हमारी पार्टी ने सभी को रोजगार देने का वायदा किया था और कहा था कि हम ऐसी नीति अपनायेंगे जिस से कि सभी को रोजगार मिल सके । लेकिन इस दिशा में अभी तक कोई प्रभावशाली कार्य नहीं हुआ है । मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में हमारी सरकार इस वायदे को पूरा करेगी ।

श्री नायक जी से पहले श्री यमुना प्रसाद शास्त्री जी का प्रस्ताव आया था । उस के समर्थन में भी हम ने कुछ बातें इस सदन में कही थीं । उस प्रस्ताव में भी यही बात कही गयी थी कि सभी लोगों को रोजगार दिया जाए, हमारे संविधान में राइट टू वर्क हो । यह बात हम ने अपने घोषणा पत्र में भी कही है । अगर इस को इम्प्लीमेंट किया जाए तो इस में कोई संदेह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिल जाएगा ।

आज हमारे देश के सामने सब से बड़ा सवाल भूमि के वितरण का है । हमारे देश में बड़े बड़े भूपतियों ने काफी बड़ी जमीन पर कब्जा कर रखा है और वे आम आदमी का बहुत शोषण करते हैं । सभी प्रदेशों में लैण्ड सीलिंग कानून बनाये गये । इस लैण्ड सीलिंग कानून के बाद जो जमीन निकली, उसे गरीब लोगों के बीच बांटने की प्रक्रिया शुरू हुई । लेकिन वह प्रक्रिया कामयाब नहीं हुई जिस का हमें दुःख है । आज भी भूस्वामी अपनी जमीन को बचाने का षडयंत्र कर रहे हैं । इस में उनके साथ सरकारी तंत्र मिला रहता है, ब्यूरोक्रेसी मिली रहती है और सब लोग मिल कर कार्य करते हैं । सरकार को इस दिशा में सख्ती से काम करना होगा और अपराधी पाए जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दंडित करने की प्रक्रिया को सख्ती के साथ अपनाना होगा । जब तक इस तरह से कार्य नहीं होगा जमीन का वितरण ठीक नहीं हो सकता है ।

रोजगार देने का भी सवाल हमारे सामने है । यह बहुत अहम सवाल है । यह भी सवाल है कि इस कार्य को हम किस तरह से चलाएं और किन किन का हम इस कार्य में सहयोग लें । मैं समझता हूं कि खास तौर से राजनीतिक दलों का जो कैडर है उसको इस कार्य को करने की दिशा में अगवाई करनी होगी । नौकरशाही कभी भी इस कार्य में सरकार का समर्थन नहीं कर सकती है । आप यह मान कर चलें कि देश के सभी राजनीतिक दल जिन की अपनी अपनी विचारधारायें हैं लेकिन जो यह महसूस करते हैं कि बेकारों को रोजगार दिया जाए, देश की गरीबी दूर की जाए उन सब का हमें सहयोग लेना होगा । प्रश्न यह है कि उन सब विचारधाराओं को ले कर हम हमेशा लड़ते रहेंगे तो क्या किसी मकसद को पूरा कर सकेंगे? मैं नहीं समझता हूं कि हम कर सकेंगे । तब हम देश की इस समस्या का निपटारा नहीं कर सकेंगे, बेरोजगारी की समस्या को मिटा नहीं सकेंगे । तमाम ऐसे लोगों के पास जिन के पास सीलिंग से ज्यादा जमीन है जैसे सिंचित भूमि के लिए 18 एकड़ की सीलिंग है और असिंचित के लिए इससे कुछ ज्यादा है, उसको उन से कैसे लिया जाए यह सवाल है । जो जमीन उन से निकली है वह तमाम गरीब लोगों में, भूमिहीनों में नहीं बांटी जा सकी है और उसके बटवारे का बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने है । इस काम में राज्य सरकारों को बहुत सख्ती करनी होगी, कठोर रुख अपनाना होगा । इस

[श्री हरिकेश बहादुर]

काम में दूसरे राजनीतिक दलों का भी सहयोग लेने की उनको कोशिश करनी चाहिये। सब के सहयोग से इस कार्य में तेजी लाई जानी चाहिये।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 18 एकड़ की जो सीलिंग है उसको भी कम करके साढ़े बारह एकड़ पर आपको लाना चाहिये। इतनी भूमि में पांच सदस्यों का परिवार बहुत आराम के जीवन व्यतीत कर सकता है, जीवन यापन कर सकता है। उसका जीवन स्तर काफी अच्छा हो सकता है। इससे जो भूमि निकले उसका बटवारा भूमिहीनों के बीच में आप करें। केवल जमीन के बटवारे से समस्या का समाधान नहीं होता है। मैं माननीय अमीन की बात से बहुत हद तक सहमत हूं।

जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं और जिन के पास जमीन के अलावा दूसरे रूप में भी बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी है, उनकी पूंजी पर जो आपको सीलिंग लगानी होगी और उस पूंजी को भी गरीबों में बांटना होगा। अगर आप सच्चे दिल और दिमाग से देश से बेरोजगारी को खत्म करना चाहते हैं तो यह काम भी आपको करना ही होगा।

गांवों में बेरोजगारी खत्म करने का भी सवाल है। उसके लिए तमाम राजनीतिक दलों क केडर का हम उपयोग करना चाहते हैं, समाज के और जो लोग हैं उनका भी उपयोग हम करना चाहेंगे तो इन सब को मिला कर एक लैंड आर्मी स्वत: बन जायगी। लेकिन हमें इस से पहल करनी चाहिये और यह मान कर पहल करनी चाहिये कि हमें लैंड आर्मी बना कर इस कार्य को तेजी के साथ इम्प्लीमेंट करना है। लैंड आर्मी वाले सिद्धान्त को मान कर अगर हम कार्य करें तो हमें एसे लोग मिल जाएंगे जिन को हम वेतन देने की जरूरत नहीं होगी बल्कि वे स्वेच्छा से इस कार्य में जुट जाएंगे। इस प्रकार से इस कार्य में हम सफलता हासिल कर सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं नायक जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि जो बंजर जमीन जो पड़ी हुई है, और सीलिंग के बाद जो जमीन निकली है इस सब का वितरण लैंड आर्मी के माध्यम से जल्दी से जल्दी करने की दिशा में केन्द्र और राज्य सरकारों को तत्काल कदम उठाना चाहिये।

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : अथर्व वेद का एक सूक्त है :

माता भूमि पुत्र: अहं पृथिव्या :

हम पृथ्वी के पुत्र हैं माता हमारी भूमि है। लेकिन इस देश में जमीन की बड़ी चोरी की गई है। इसका कुछ अंदाजा हमारे माननीय उग्रसेन जी ने दिया है। यही कारण है कि भारत जैसे गांधी, बुद्ध और महावीर के देश में ग्रामों में हिंसा व्याप्त हो रही है, नक्सलबाड़ी, खांडीबाड़ी, हाथीघीसा कोई रूस और कोई चीन से आए हुए पैदा हो रहे हैं। यह कोई षडयंत्र नहीं है, यह तो ग्रामीण हिंसा का प्रकटीकरण है। वास्तव में जमीन की भूख सब को होती है। जमीन से वंचित रखने का जो प्रयास सामन्ती परम्परा के कारण चल रहा है उसी के परिणामस्वरूप यह ग्रामीण हिंसा होती है। आज देश में बेकारी का सबसे बड़ा सवाल है। 1971 की सेंसस के अनुसार 18.7 मिलियन लोग बेकार थे। भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री वी० वी० गिरि की पुस्तक है "जोब फ़ार दी मिलियन्स" में लगभग 11 करोड़ बेकार लोग बताये गये हैं और अब शायद 13 करोड़ आदमी बेकार हो गये होंगे। गांवों में जो खेतिहर भूमि हीन मजदूर हैं वह करीब 4 करोड़ 56 लाख हैं। इसके सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि उनको ग्रामोद्योग में लगाया जाय। इस बात से किसको विरोध हो सकता है। लेकिन जो गांवों में कृषि योग्य भूमि 46.9, परती 6.1 और जंगल में 22.7, कुल मिला कर करीब 6 करोड़ एकड़ की जमीन है जिसको हम बांट सकते है, लेकिन उसको बांटा नहीं गया। या तो वह परती है, या भू-स्वामियों के पास है। बिहार में 10 लाख एकड़ जो गैरमजरुआ में जमीन है वह भूमिपतियों ने चुराई है जिसको कि सरकार को उनसे लेना चाहिए। इसलिए सारी जो रूरल बायस की बात जनता पार्टी करती है वह एक प्रवंचना होगी यदि हम भूमि सुधार को ठीक ढंग से कार्यान्वित नहीं करेंगे। एक राइटर V.C. Ghosh कहते हैं :

"This rural bias of Janata Party is a farce without land reforms. All land reforms will be a farce without land distribution."

हमारे माननीय वी० के० आर० वी० राव ने भी कहा है कि आज जमीन के वितरण के सम्बन्ध में हमें फिर से सोचना चाहिए। एक सर्वे के कार्य को देख कर के जनता पार्टी के अन्दर भी एक प्रकार का चिन्तन लगता है और सोचा जाता है कि सीलिंग को ऊंचा किया जाय। यह प्रतिगामी विचार है, इसका जबरदस्त विरोध करना चाहिए। मुख्य प्रश्न यह है कि जैसे अभी छठी योजना के प्रारूप की चर्चा की गई और उसमें कहा गया कि 6 करोड़ एकड़ जमीन है। वस्तुत: हम इस प्रकार से अपनी बेरोजगारी की समस्या को दूर करेंगे ? मैं समझता हूं कि जनता पार्टी और जनता सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी है। 10 वर्ष तक ठहरने का धीरज शायद लोगों को नहीं होगा। इसीलिए जनता पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र में कहा गया है कि जनता पार्टी भूमि सुधार के कानूनों पर ईमानदारी से अमल करेगी। भूमि हस्तांतरण और किसानों की जोत छीनने में जो जालसाजियां की गई हैं उनकी जांच की जायगी और इस प्रकार कानून की त्रुटियां सामने आयेंगी और उनको दूर किया जायगा। और जो पैनल बनाया गया था उसमें भी कहा गया था कि यह सारा काम एक साल के अन्दर होना चाहिए। 10 वर्ष की कोई योजना नहीं हो सकती है। डा० लोहिया का नाम लिया गया कि उन्होंने भूमि सेना और साक्षर सेना की चर्चा बहुत पहले की थी। लेकिन हमारी जनता

पार्टी के अध्यक्ष, श्री चन्द्रशेखर ने भी लैंड और इल्लिट्रेसी ड्राइव आर्मी की कल्पना की है :

Shri Chandrashekar, President of Janata Party, constituted a five-member committee headed by the Union Home Minister, Shri Charan Singh with Shri Madhu Limaye, Shri Raj Narain, Mrs. Mrinal Gore and Shri V. K. Malhotra as members to submit proposals to launch a land and illiteracy drive army.

मान्यवर, जिन्होंने 30 साल तक जमीन के बारे में जालसाजियां की आज वह हम लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है ? वस्तुतः अतीत के लांछित इतिहास से पूछिए कि आज तक जमीन का वितरण क्यों नहीं हुआ। इसलिए मैं समझता हूं कि कृषि मंत्री को जो पार्टी का मैण्डेट और घोषणा-पत्र का भी अनुदेश है जनता की आकांक्षा को स्वागत के साथ स्वीकार करना चाहिए। आज हमारे देश में जो स्थिति है उसमें हमें देखना पड़ेगा कि 5-2-77 को जो चीफ़ मिनिस्टर्स की कान्फरेंस हुई थी जिसमें संकल्प दिया गया था कि एक वर्ष में हम पुनर्वितरण के काम को पूरा करेंगे, तो क्या वह हुआ, ? अगर नहीं, तो यह किस के साथ दगाबाजी है ? यह देश के गरीबों के साथ दगाबाजी है। दूसरी चीज भूमि वितरण के सिलसिले में,

the time-lag between possession and distribution should be reduced.

अभी यहां हमारे माननीय लकप्पा साहब बोलना चाहते थे, उन्होंने नाम भी दिया था, लेकिन अनुपस्थित थे। ऐसी जगहों पर तो वह अनुपस्थित हो ही जायेंगे। लेकिन बिहार में उस समय जो तथाकथित प्रगतिवादी शासन था, जिसे हम आपातकालीन काला शासन कहते हैं, उसने उस समय जितने लोगों को जमीन दी थी, उसमें से 70 प्रतिशत लोगों को जमीन नहीं मिली। यह केवल भूमि-वितरण का नाटक था। अब यह नहीं होना चाहिए।

जब हम जमीन वितरण की बात करते हैं तो हमें सामन्ती परम्परा को नष्ट कर देना चाहिए। इसी लिए भागवती कमेटी की रिपोर्ट में जमीन वितरण की बात को स्पष्ट रूप से कहा गया है ——

"In view of the employment potential during the construction phase of the programmes of soil conservation and land reclamation, we recommend that programmes of soil conservation over an area of 15 million hectares, and land reclamation over 5 million hectares be undertaken during the Fifth Plan period."

सभापति महोदय, सदन का समय बहुत बहुमूल्य है, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार चीन ने पीकिंग से ले कर लद्दाख तक की सड़क 6 महीने में बना डाली, उसका क्या कारण था ? उसका कारण भूमि-सेना का एकत्रित करना था। यहां की 6 करोड़ खेतिहार किसान भूमि मजदूर हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, अगर उनको विश्वास हो जाये कि जिस जमीन पर वह काम करेंगे, वह जमीन उनकी होगी, तो उनकी बाजू में ताकत आ जायेगी और हिन्दुस्तान का उद्धार हो जायेगा।

शायद मालूम होगा कि पंचवर्षीय योजना के समय में श्री जवाहरलाल नेहरू ने लेजिन्सकी के अण्डर लैंड रिफार्म की कमेटी बनाई थी। लेजिन्सकी कोई रूस का नहीं था, वह अमरीका का, फ्यूडल स्टेट का था। उसने बताया कि गांव में खेती का उत्पादन क्यों कम होता है, इसलिए कि भूमि-सुधार पिछड़ा हुआ है। उसने सिफारिश की थी कि गांव में जायें वहां एक भूमिहीनों का रिप्रेजेन्टेटिव रहे और एक भूमिवान का और एक सरकार का और सारी बेनामी जमीन खत्म कर दी जाये। रघुवंश नारायण सिंह को 27 हजार बीघा और शाह परवत्ता को 39 हजार बीघा यह सारी सांड़ और बैलों के नाम से बेनामी जमीन है।

इसलिए राजनीतिक संकल्प का अभाव, सामन्ती परम्परा के साथ सांठ-गांठ और खेतिहर मजदूरों के साथ विश्वासघात का परिणाम है कि भारतवर्ष की भूमि, भूमि-पुत्रों के पास नहीं आई है। धन्यवाद।

श्री डी० ओ० गवई (बलडाना) : सम्मानीय सभापति महोदय, श्री नाइक ने बंजर-भूमि वितरण के बारे में जो प्रस्ताव रखा है, मैं रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य की हैसियत से उसका समर्थन करता हूं और उन्हें बधाई देता कि आज सदन में वह इस तरीके का प्रस्ताव लाये हैं। देश में खेती योग्य बंजर भूमि तो है और जो खेतिहर मजदूर और किसान हैं वह किसान तो भूमिक वह भूमि-स्वामी नहीं हैं। वह खेती में काम करते हैं, अपना खून-पसीना बहाते हैं, अपने खून की एक एक बूंद जमीन पर न्यौछावर करते हैं और पसीने से मिट्टी को निकालते हैं और उसमें सोना उगाते हैं। लेकिन जो आदमी अपना खून पसीना एक कर के कृषि की उपज पैदा करता है, वह भूखे का भूखा रहता है, उसको खाने को नहीं मिलता है। और जो आदमी काम नहीं करता है, आराम से बैठा रहता है, मोटर-गाड़ी में बैठता है, मेरी और आप की तरह गर्म कपड़े और सूट पहनता है' वह सब छीन लेता है और बैंक में उसका बड़ा एकाउंट होता है।

अभी यहां बड़े भावनापूर्ण भाषण दिये गये हैं। डा० रामजी सिंह का भाषण सुनते हुए मुझे महाभारत की एक बात याद आ जाती है— उन का भाषण बड़ा प्रभावी होता है;. हम वे शब्द

[श्री डी० जी० गवई]

बातें इस सदन में कहते हैं। बोलने वाले भी हम हैं, सुनने वाले भी हम हैं और करने वाल भी हम हैं। जिस समय इस देश का संविधान बन रहा था, उस समय बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो भाषण दिया, उसमें उन्होंने कहा था कि इस देश में बड़ी तादाद में लोग रात-दिन मजदूरी करते हैं, करोड़ों लोग खून पसीना करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उनको रोटी नसीब नहीं होती है, इस सदन में ऐसे लोग चुन कर आय ह' जो तालुकदार, मालगुजार, जागीरदार और जमींदार ह; उन्होंने गरीबों में भमि-वितरण के लिए कोई कानून नहीं बनाया और न उस तरफ कोई खयाल किया।

डा० राम मनोहर लोहिया को छोड़ कर कोई भी यह प्रस्ताव नहीं लाया कि इस देश की करोड़ों एकड़ भमि गरीबों लोगों को दी जाये। हम देखते हैं कि जो आदमी अपने हाथ से काम करता है, बरसात, सर्दी और धूप में खेत में पहरा देता है और काम करता है, जिसके पैर में जता नहीं है और बदन ढंकने क लिए कपड़ा नहीं है, वह भूमि का मालिक नहीं है। किसी ने उसका ख़याल नहीं किया है।

श्री नाइक के द्वारा यह एक अच्छा प्रस्ताव लाया गया है कि इस देश में बंजर भूमि का वितरण किया जाये। मैं यह कहना चाहता हूं कि बंजर भूमि का वितरण कर के उसमें उपज करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। सीलिंग से अतिरिक्त ज़मीन महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में बांटी गई। लेकिन उसमें क्या गद्दारी की गई, इस को सारा सदन जानता है। जिस आदमी के पास सीलिंग से अतिरित भूमि ज़मीन थी, उसको कहा गया कि वह भूमि का जो भी हिस्सा छोड़ना चाहता है, वह छोड दे। इस का परिणाम यह हुआ कि जिस भूमि पर पत्थर हैं, जहां अनाज पैदा नहीं होता है, जहां घास भी नहीं उगती है, ऐसी ज़मीन छोड़ दी गई और उसे ग़रीबों के नाम पर बांट दिया गया। गरीब आदमी उस ज़मीन को क्या करेगा। क्या वह पत्थर पर अपना सिर फोड़ेगा? क्या वह उस पर अनाज पैदा कर सकता है? वह वहां पर फ़ैक्टरी नहीं बना सकता है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। यह जो गद्दारी की गई, यह लांछनास्पद है।

इस देश में सीलिंग की मर्यादा कहीं 18 एकड़, कहीं 40 एकड़ और कहीं 52 एकड रखी गई। विभिन्न प्रदेशों ने इस बारे में अलग अलग कानून बनाये। मैं उसका भी समर्थन नहीं करता हूं। मैं उसके खिलाफ हूं। यह सीलिंग बहुत ज्यादा रखी गई है। एक आदमी के लिए इतनी भूमि की ज़रूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा एक आदमी के नाम पर दस एकड़ भूमि र नी चाहिए। कुत्ता ट्टिल्ली को छोड़ कर, गधा, घोड़ा को छोड़ कर उस ऋ घर म जो कुट्रम्ब है, उस का लड़का है उस का एक ट्रकुट्रम्व है, उस ऋ नाम पर, उसऋ पिता ऋ नाम पर दस दस एकड़ से ज्यादा भमि नहीं होनी चाहिए। (**व्यवधानन**)।

मैं कुछ पहले के, पुराने वाकयात बताना चाहता हूं। यह जो भूमि का झगड़ा है यह बाबा साहब डा० अम्बेडकर ने चालू किया। ..(**व्यवधान**).

एक माननीय सदस्य : झगड़ा ओनरशिप का है।

श्री डी० जी० गवई : ओनरशिप का नहीं है। मैं बताता हूं।

देश में पहली बात यह होनी चाहिए कि देश की भूमि का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। कोई भूमि का मालिक नहीं है, जसे हमारे विनोबा भावे जी बोलते हैं कि सारी भूमि गोपाल **की** ....(**व्यधान**) ... वह ठीक है, कुछ भी कहें. लेकिन उन्होंने यह कहा है कि भमि भगवान की देन है, यह कोई इंसान ने पैदा नहीं की है। पानी भी भगवान की देन है, भूमि भी भगवान की देन है और जो चीज भगवान ने मानव के लिए दी है उस पर सारे मानव का अधिकार होना चाहिए। उस को कोई एक आदमी हड़प नहीं सकता है।

आज सारे देश के अन्दर लोगों ने भूमि चुराने के लिए ट्रस्ट बनाए हैं। बेटा टस्टी बीबी ट्रस्टी, बच्ची ट्रस्टी, सब का ट्रस्ट बना दिया और हजारों हजार एकड़ उस ट्रस्ट के नाम पर लेकर अपने काम में और अपने उपयोग में ला रहे हैं। दूसरा एक वाकया बता रहा हूं। मथुरा में गोरक्षण सोसाइट्री कोई है। उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया और हजारों एकड़ जमीन उस गो-रक्षण ट्रस्ट की है लेकिन वहां गऊ एक भी नहीं है। गऊ एक भी नहीं और गो रक्षण ट्रस्ट बना दिया। मोटर पम्प बैठा रखां है। गऊ तो नहीं है लेकिन गोवर्धन खा रहे हैं। गोवर्धन नाम का आदमी खा रहा है। मोटर पम्प, एलेक्ट्रिक पम्प सब बैठा रखा है, अनाज पैदा कर रहे हैं, अनाज घर में भर रहे हैं, बेच रहे हैं और सरकार में बड़ा अच्छा प्रभाव है। गो-रक्षण ट्रस्ट बना कर उन्होंने गऊ के नाम पर खाना शरू कर दिया। मेरे अपने डिस्टिक्ट में एक कदरिया ट्रस्ट बना हुआ है। सारी फेमिली के नाम से उन्होंने ट्रस्ट बना रखा है और सारा पैसा खा रहे हैं। जो टेनेंट होते हैं उन को एक साल या दो साल रखते हैं। तीसरे साल उसको हटा तेपे हैं ताकि वह परमानेंट टेनेंट न बन जाय। तो ज्यादा आंकड़ों के जाल म तो मैं पड़ना नहीं चाहता हूं कि इस देश में कितने खेतिहर मजदूर हैं, कितने भूमिहीन हैं, सात करोड़ हैं या दस करोड़ हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश में जितना ग्रामीण एरिया है उस में 70 प्रतिशत लोग मजदूरी कर रहे हैं और वह सारे भूमिहीन है। तो मैं यह कहता हूं कि आप इस बंजर भमि के वितरण के बजाय यहां सदन में ऐसा प्रस्ताव लाइए कि सारे देश की भूमि का राष्ट्रीयकरण हो जाय। मैं भूमि के राष्ट्रीयकरण का समर्थक हूं। भमि का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। बाबा साहब डा० अम्बेडकर के आदेश से हम लोगों ने 1954 में भूमि सत्याग्रह महाराष्ट्र में किया और अकेले महाराष्ट्र में कम से कम तीन

लाख लोग जेलों में गए कि जो बंजर भूमि है, जो गोचर की भूमि है, दो-दो सौ एकड़ भूमि गोचर के लिए पड़ी है और पशु एक भी नहीं है वह जमीन भूमिहीनों में वितरित की जाय। दो-दो सौ और तीन-तीन सौ एकड़ जमीन का क्या करना है जब पशु उतने हैं नहीं? फिर उन पशुओं के मालिक के पास भी अपनी जमीन है तो जो सरकारी गोचर की भूमि है बी क्लास या सी क्लास की वह सारी शेड्यूल्ड कास्ट में या समाज के किसी भाग में बांट दी जाय। सारे देश के इंसान एक हैं, हम हर जगह पर जाति-पांति का सवाल नहीं उठाना चाहते हैं, जो एकनामिकली बकवर्ड हैं उन में उस भूमि का वितरण करना चाहिए। कुछ किया है और कुछ बाकी है। फारेस्ट की जो जमीन है जो सोना पैदा करती है जो बहुत अच्छी जमीन है वह भी अनाज उत्पादन के लिए उपयोग में लाई जाये। वह भी बड़ा अच्छा काम होगा। काफी मात्रा में ऐसी जमीन पड़ी हुई है। वहां से लोग लकड़ी चुरा कर ले जाते हैं और देश को उससे कुछ फायदा होता नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भूमि वितरण के बारे में अगर सरकार सतर्क नहीं रहेगी और जो जमींदार हैं उन्होंने अगर भूमि वितरण का समर्थन नहीं किया तो इस देश का भविष्य आगे कुछ और हो जायेगा।

आज जैसा कि देश में भू सेना बनाने का प्रयास हो रहा है उसका मैं स्वागत करता हूं, वह होना चाहिए। जो लोग मेहनत करते हैं उनका संगठन जरूर होना चाहिए लेकिन उसके खिलाफ भी इस देश में संगठन बन रहे हैं—मैं नाम नहीं लेना चाहता, श्रीमती चन्द्रावती जी यहां पर बैठी हैं, वे नाराज हो जायेंगी। हम एक दूसरे के बीच में टकराव की स्थिति पैदा नहीं करना चाहते। एक तरफ किसान संघर्ष समिति और दूसरी तरफ मजदूर समिति या भूमिहीन मजदूर समिति बने—इस प्रकार टकराव की स्थिति हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देश की भूमि का राष्ट्रीयकरण हो। सारे इन्सानों का जो अधिकार भूमि पर है वह अधिकार उनको दिया जाये। बस, इतना ही कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री युवराज (कटिहार) : सभापति महोदय, मैं बहुत गौर से अपने कई मित्रों की बातों को सुन रहा था। आज देश में लैण्ड रिफार्म्स की दिशा में रैडिकल री-थिंकिंग की जरूरत है। सारे देश में, एक आध राज्यों को छोड़ कर, जहां पर लैंड रिफार्म्स के कानून बने हैं वहां पर आप देखिये और आप स्वयं जानते भी हैं कि लैंड रिफार्म्स को कोई प्रोटेक्शन नहीं है जब तक कि कान्स्टीट्यूशन के नाइंथ शेड्यूल में इसको न डाल दिया जाये। आज भी 27-28 हजार मुकदमें हाईकोर्टस् में पेंडिंग हैं। जमीन की सीमा निर्धारित की गई और कुछ जमीन बांटी भी गई। 12-13 लाख एकड़ जमीन बांटी गई। यह बात विचारणीय है कि वास्तव में ऐसी कितनी जमीन है। यह दुःख की बात है कि इस देश में सरकार बहुत सी चलती थी और आज भी है लेकिन कोई सरकार यह रिकार्ड नहीं बताती कि ऐसी कितनी किस की जमीन है। किसी एक आदमी की जमीन होती है तो वह लैंड रिफार्म्स के परपज को डिफीट करने के लिए बेनामी कर देता है। अब उसको स्टेट की तरफ से चलेन्ज किया जा सकता है लेकिन स्टेट में स्टेटस को मेनटेन करने वाले लोग मौजूद हैं जोकि उसको चैलेंज करने के बजाये बेनामी को कबूल कर लेते हैं। यह केवल किसी एक राज्य की बात नहीं है, हर जगह बड़े-बड़े भूधर किसानों ने अपने स्वार्थ की रक्षा के लिए बेनामी कर दी है। सबसे बड़े दुःख की बात यही है कि जो कानून बने हैं उनका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। इसके अलावा अगर जमीन सरप्लस है और 50 लाख एकड़ जमीन का डेक्लेरेशन हुआ तो केवल 12-13 लाख एकड़ जमीन ही बांटी गई है। मैं पूछना चाहता हूं क्यों? सरकारी मशीनरी काफी सक्षम है लेकिन एक बात इसकी बुनियाद में है कि कौन भूमि वितरण की समस्या के बारे में एक रैडिकल रीथिंकिंग करेगा? जो सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए हैं और जो हमारा नेतृत्व करने वाला वर्ग है वे घबराते हैं। आप ने बैठ कर यहां तय किया कि तीन वर्षों के अन्दर भूमि सुधार के कानूनों को अमल में लाया जायगा—लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं—क्या एक भूखा व्यक्ति तीन साल तक आप की इन्तजार करेगा? हिन्दुस्तान के अन्दर यदि शीघ्र एग्रेरियन रिफार्म्ज नहीं हुए तो हिन्दुस्तान की समस्याओं का निदान नहीं निकल सकेगा। यही हमारी आर्थिक समस्याओं का सब से बड़ा केन्द्र है। अभी हाल में प्रोफेसर राजकृष्ण, जो इन के प्लानिंग कमीशन के मेम्बर हैं, उन के नेतृत्व में एक कमेटी बैठी थी, उस कमेटी ने सिवाय इस के कि मुख्य मंत्रियों ने कुछ नहीं किया और कोई बात नहीं कही। हमारे प्रधान मंत्री जी ने भी यही कहा—जब तक मुख्य मंत्री व्यक्तिगत रूप से इस जिम्मेदारी को नहीं लेंगे और इन कानूनों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे—यह काम नहीं होगा। लेकिन दो वर्ष के लगभग समय बीत चुका है, कितनी खेती बांटी गई? जिस गति से हम चल रहे हैं—क्या किसी परिवर्तन की दिशा में हम चले हैं? मेरी व्यक्तिगत रूप से यह धारणा है—जमीन पड़ी हुई है, लेकिन कानून से उस जमीन का कोई निदान नहीं हो सकेगा, हमारे उन लोगों को जो जमीन को जोतते हैं, जो भूमिहीन किसान हैं, उन को संगठित हो कर सरकार पर दबाव डालना होगा, सरकार को मजबूर कर देना होगा कि भूमिहीनों के बीच में जमीन का बटवारा करो। जमीन और कृषि हमारे देश की जनता के आर्थिक आधार के मेरुदण्ड हैं, जब तक लैंड रिफार्म नहीं होगा, कोई क्लियर-कन्सेप्शन आप के दिमाग में नहीं होगा, तब तक कोई कानून काम नहीं कर सकेगा, चाहे आप जितने कानून बनाते चले जायें। यही वजह है—कानून बनता है, लेकिन इम्पलीमेंट नहीं होता और हम लोग रोते रहते हैं। मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाते हैं, जिसमें

[श्री युवराज]

बड़े-बड़े लोग हैं, आइ० ए० एस० अफसर हैं, उन की देखरेख में अफसरों की मीटिंग्ज होती हैं—लेकिन क्या आप उम्मीद करते हैं कि पोलिटीकल-विल के बगैर आ चेन्ज आप लाना चाहते हैं, वह आ जायगा ? सैक्रेटेरियट के एअर-कण्डीशण्ड कमरों में बैठ कर जमीन के वितरण की समस्या और भूमिहीनों की समस्या को हल करने की दिशा में कदम उठाना बिल्कुल दिवा-स्वप्न के समान है । जहां पर कानून बना है, यदि उस में कोई दोष है, तो उस को बदल डालो, मैं तो यहां तक कहूंगा कि इस को संविधान के 9वें शेड्यूल में ले आओ, जिस से कोई भी उस कानून को चैलेन्ज न कर सके । ताकि ऐसा न हो जिस तरह से आज 27-28 हजार मुकदमे जमीन के बंटने के मार्ग में अवरुद्ध खड़े हैं ।

मैं कहना चाहता हूं—यह काम सब से बड़ा काम है, यह सब से जरूरी काम है, सब से पहला काम है । आज तीन वर्षों तक प्रशासन चलाने का काम सब से बड़ा काम नहीं है, प्रशासन तो चलेगा ही । आज क्या परेशानियां हुई—समस्तीपुर में, और क्या परेशानियां हो रही हैं—फतहपुर में । अगर दो वर्ष हम ने ईमानदारी से बिताये होते तो यह लैंड रिफार्म का काम कहां से कहां पहुंच जाता । लैंड रिफार्म की समस्या से ला-एण्ड-आर्डर का सम्बन्ध है—अगर हम ने ईमानदारी से इस काम को किया होता तो आज यह स्थिति पैदा न हुई होती । मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं—समय आप का इन्तजार कर रहा है, एक ऐतिहासिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, आज जरूरत इस बात की है कि हम हिम्मत के साथ, जैसा जनता पार्टी के इलैक्शन मैनिफैस्टो में अंकित किया गया है, जिस से हम बंधे हुए हैं, उस को पूरा कर के दिखायें । हर राज्य में लैंड रिफार्म का नया कानून बने नया नवें शेड्यूल में लैंड रिफार्म को ला कर यदि हम दस फीसदी भूमिहीनों को भी जमीन देने में सफल हो सके, तो मैं समझूंगा कि इस दिशा में यह बहुत बड़ा कदम होगा ।

श्री श्यामलाल धुर्वे (मंडला): माननीय सभापति महोदय, नायक जी द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं । जैसे कि सभी संसद सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये कि इस देश में जितनी फालतू जमीन है, उसका यदि सही तरीके से वितरण किया जाए तो सभी लोगों को वास्तव में जमीन मिल सकती है । मैं मध्यप्रदेश के मंडला जिले के सम्बन्ध में आपको जानकारी देना चाहता हूं । मंडला जिला वनों से भरा हुआ है । वहां खेती योग्य भूमि है जिसका अभी तक वितरण नहीं किया गया है । वनों में आदिवासी जनता रहती है । मंडला जिले में 150 वन गांव हैं । मुझे बड़ा दुःख है कि भारत को आजाद हुए तीस साल हो गये लेकिन वहां की आदिवासी जनता को आजादी का कोई लाभ नहीं मिला है । गत सरकार में तो कुछ नहीं किया, लेकिन वर्तमान सरकार पर सारी जनता की निगाह है कि जनता सरकार हमारी सरकार है और हमारे लिए कोशिश करेगी । यह आज वहां की जनता सोच रही है ।

17 hrs.

माननीय सभापति महोदय, 20-20 साल तक उन लोगों के नाम पर पट्टे नहीं दिये जाते । हर साल वन गांव के लोगों को वन रक्षक लूटा करते हैं । वन गांवों में जो भूमि है, उस को, जैसा कि हमारे नायक जी ने सुझाव दिया है कि भूमि सेना बना कर भूमिहीनों को जमीन दी जाए, उसी तरह से वहां की जमीन भी जनता सरकार द्वारा वहां के लोगों को दी जाए । यह जमीन उनको देना कोई कठिन बात नहीं है । अपने देश में अपने-अपने जिलों में भूमिहीनों को हम जमीन दे सकें, उन्हें खुशहाल बना सकें, इस में अच्छी बात जनता सरकार के लिए कोई नहीं हो सकती और यह कठिन कार्य भी नहीं है ।

मैं अपनी सरकार से, खास कर के कृषि मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वन गांवों की राजस्व गांवों में परिवर्तित कर के तत्काल आदिवासी जनता को पट्टे दिये जाएं जिस से कि उनको भी आजादी का लाभ मिल सके । अपने जिले के उन वन गांवों की हालत देख कर आज मुझे बहुत दुःख होता है कि आज उनकी हालत अंग्रेजों के शासन काल में भी बदतर हो गयी है । वन विभाग के कर्मचारी वहां के आदिवासियों की बहू-बेटियों के साथ उनके माता-पिता के सामने बलात्कार करते हैं । इस तरह से हमारे आदिवासी भाई-बहिनों की इज्जत लूटी जाती है । जब से मैं लोक सभा में आया हूं किसी ने इस चीज का जिक्र यहां नहीं किया कि इस तरह से उन के साथ अत्याचार किया जाता है । मुझे बड़े दुःख के साथ कहना है कि आदिवासी किसी के सामने अपनी बात रखना नहीं जानते, किसी के सामने अपनी मांग रखना नहीं जानते । इसलिए लोग उनका नाजायज फायदा उठा रहे हैं । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां की जमीन को राजस्व भूमि में परिवर्तित कर के वहां के लोगों को स्थायी रूप से पट्टे पर दी जाए ।

वन ग्रामों में ऐसी भूमि होती है जो पथरीली, पहाड़ी और एक फसली होती है । इसलिए वहां की जनता को बीस या बीस एकड़ से कम जमीन न दी जाए । मेरे मंडला जिले में पहाड़ी इलाका है । वहां पानी के अभाव में जो फसल बोयी जाती है वह सूख जाती है । पिछले साल की फसल भी तैयार नहीं हो पायी है और हजारों की संख्या में आदिवासी भूख से अपनी रोजी-रोटी खोजते फिर रहे हैं । मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले साल ओले की वजह से फसल को क्षति पहुंची थी । मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार जनता के सामने

के लिए कुछ कार्य करेगी। थोड़ी बहुत मदद उन की की गयी है लेकिन अभी भी पूरे जिले में स्थिति गंभीर है। मैं ने अपने प्रदेश के कृषि मंत्री को अकाल स्थिति के बारे में लिख कर दिया है अभी भी कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है। दीवाली तक डेढ़ दो हजार लोग भाग चुके थे। अभी भी सैकड़ों की संख्या में हर गांव के लोग भाग भाग कर दूसरे जिलों में जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे कृषि मंत्री महोदय वन विभाग के अधिकारियों को आदेश दें कि पांच छः हजार रुपया जो उन के पास वितरित करने के लिए इन लोगों में पड़ा हुआ है उस को वे वितरित करें। वह पैसा वहां पर लोगों को मजदूरी का आज तक नहीं दिया गया है। मांडला जिले की डिंडोरी तहसील के डिंडोरी रैंज में निघोरी भानपुर गांव में जो लोगों द्वारा काम किया गया है उस का पांच छः हजार रुपया लोगों को अभी तक नहीं दिया गया है। यह वन विभाग के पास पड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं कि यह रुपया आप उन को दिलायें। जहां पर अकाल पड़ा हुआ है वहां पर राहत कार्य हाथ में ले कर भूमि समतल बना कर भूमिहीनों को दी जानी चाहिये। मैं यह नहीं चाहता हूं कि केवल आदिवासी जनता को ही यह जमीन दी जाए। जो आदिवासी जिले हैं वहां पर जो लोग रहते हैं वे सभी गरीब होते हैं, अनादिवासी भी गरीब होते हैं। इस वास्ते सब को समान रूप से मदद पहुंचाई जानी चाहिये।

मण्डला जिला पहाड़ी जिला है। यहां की जमीन पथरीली है। यहां सिंचाई के साधन बिल्कुल नहीं हैं। नदी, तालाब आदि नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि यहां जो नाले बहते हैं उन पर बांध बना कर के सिंचाई की व्यवस्था वहां की जाए। वहां पर अकाल की स्थिति का इस तरह से पक्के तौर पर निवारण किया जा सकता है।

वहां पर आज जो अकाल की स्थिति है उस को देखते हुए लोगों को कर्जों में भी राहत दी जानी चाहिये। उन की जमीन किसी भी दशा में कुड़क नहीं की जानी चाहिये। मेरे जिले में कई लोगों की जमीन कुड़क की गई है और उन को भूमिहीन बना दिया गया है। कोआप्रेटिव बैंक्स द्वारा जो कर्जे दिये जाते हैं या तकावी दी जाती है उस पर चक्र वृद्धि ब्याज लगाया जाता है। एक हजार रुपया मूल धन होता है तो उस पर दो हजार ब्याज का चढ़ जाता है। इस तरह से अगर चलता रहा तो कभी भी उन को इन कर्जों से छुटकारा नहीं मिल सकता है। उन का उद्धार नहीं हो सकता है। मेरा निवेदन है कि इस ब्याज से उन को मुक्त किया जाना चाहिये और मूल धन जो उन को तकावी के रूप में दिया जाता है वही उन से वसूल किया जाना चाहिये।

पहाड़ों में मालगुजार, जमींदार, सामन्त आदि हैं जिन के पास हजारों एकड़ भूमि है। मेरा सुझाव है कि ग्रामीण स्तर पर ग्रामों की जो जमीन है या जो जंगलों में जमीन है, ग्रामीण समिति बना कर के उस का सर्वे करवाया जाना चाहिये और जो जानकारी वह समिति दे उस के आधार पर आप को आगे की कार्रवाही करनी चाहिये। आप को फालतू जमीन की जो जानकारी दी गई है वह सही नहीं है। इस प्रकार की समितियां जांच कर अगर आप जांच करवायेंगे तो आप को बहुत अधिक जमीन मिल सकती है और जो घोषणा की गई है उस से ज्यादा जंगली और दूसरी जमीन निकल सकती है। मैं आप को विश्वास दिलाता हूं कि यह जो जमीन निकलेगी यह इतनी होगी कि प्रत्येक परिवार को आप दो हैक्टेयर से ज्यादा जमीन दे सकेंगे और इस प्रकार से देश का उद्धार कर सकेंगे। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इस वास्ते आप को कृषि पर अधिक ध्यान देना होगा। ऐसा आपने किया तभी आप देश को खुशहाल बना सकेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि श्री नायक के प्रस्ताव को आप को अवश्य मान लेना चाहिये। और प्राथमिकता दे कर इस कार्य को अपने हाथ में लेना चाहिये। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

MR. CHAIRMAN: Now the time left is only 20 minutes at our disposal. There is another resolution which is also to be moved today. Thereafter we have the half-an-hour discussion at 5.30. Now, it is for the House to decide. I learn that the hon. Minister is also going to take some 15 minutes and the mover also would like to speak for about 10 minutes.

SHRI PABITRA MOHAN PRADHAN: You may extend the time by fifteen minutes.

SHRI DHIRENDRANATH BASU (Katwa): The discussion may continue and meanwhile Mr. Dinesh Joarder may move his resolution.

MR. CHAIRMAN: How can it be done? That cannot be done.

SHRI CHITTA BASU: I think this House has precedents. He may be allowed just to move the resolution for one or two minutes and it may be taken up on the next day. There is a precedent of this nature.

MR. CHAIRMAN: I am afraid I cannot do that. There is no such precedence.

SHRI DINESH JOARDER: Kindly extend the time of the Private Members' Business to-day.

MR. CHAIRMAN: There is Half-an-Hour Discussion also.

SHRI DINESH JOARDER: You give twenty or thirty minutes more to the Private Members Business.

MR. CHAIRMAN: Another difficulty is that Half-an-Hour Discussion is to start at 5-30 P.M.

SHRI DINESH JOARDER: Many times on previous occasions time of Private Members' Business has been extended till half-an-hour or one hour more. Sometimes half-an.hour discussion has been taken up at 6-30 P.M. or so. So, the precedence is there.

MR. CHAIRMAN: I propose that although there are few hon. Members who propose to speak, I would request them that they should cooperate. And the hon. Mover should forego his right to speak. I would now ask the hon. Minister to give his reply and he will just try to finish it.

Now, the Minister.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : सभापति महोदय, मैं सर्व प्रथम तो यह कहना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव हमारे सामने है या उस की सीमा से बाहर जा कर दूसरा विषय भूमि सुधार का जो लाया गया है वह दोनों ही ऐसे विषय हैं जो केन्द्रीय सरकार के अधिकार सीमा के बाहर हैं। अपने संविधान के अनुसार भूमि और भूमि का प्रबन्ध यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिये हम उनका मार्ग दर्शन कर सकते हैं। कुछ दबाव डाल सकते हैं, कुछ उन को आर्थिक सहायता दे सकते हैं। परन्तु जो काम उन का है उस को कर नहीं सकते हैं संविधान के अनुसार ।

जहां तक भूमि सुधार की चर्चा हुई, यद्यपि इस मुख्य प्रस्ताव से उस का कोई बहुत सीधा सम्बन्ध नहीं है फिरभी मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता सरकार ने, केन्द्रीय सरकार ने बारम्बार अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से रखा है, मैनीफेस्टो में है, इकनामिक पालिसी रिजोल्यूशन में है कि हम ईमानदारी के साथ चाहते हैं कि जो कानून बने हैं उन पर अमल हो। हां यह सुन कर आश्चर्य और अफसोस जरूर होता है कि बहुत से राज्यों में अभी भी जमीन के मालिक हैं जिन के बारे में कहा जाता है कि हजारों एकड़ जमीन उन के पास है, जिन को कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा के नाम पर किए हुए हैं। यदि वास्तव में ऐसी स्थिति है तो उस राज्य सरकार के लिये बहुत शर्म की बात है। और वहां के राजनीतिक कार्यकर्ताओं विधायकों और संसद सदस्यों के लिये भी शर्म की बात है।

श्री डी0 बी0 वर्मा : क्या केन्द्रीय सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है।

श्री भानु प्रताप सिंह : केन्द्रीय सरकार की जो जिम्मेदारी है उस को पूरा करने की कोशिश कर रही है। मैं कहना चाहता हूं कि आज अपने ही लोग मुख्य मंत्री बन कर बैठे हैं। जिन का नाम लिया गया डा0 राम मनोहर लोहिया, उन के ही चेले मुख्य मंत्री हैं। तो वह क्यों नहीं करते हैं। केन्द्रीय सरकार इस मामले में क्या कर सकती है ?

सैड धार्मी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस की भावना से तो मैं पूर्णतः सहमत हूं कि इस देश में गरीबी और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, बढ़ती जा रही है और इस पर अगर रोक नहीं लगाई गई तो हमारे सामने विनाश के सिवा और कोई दूसरी तस्वीर नहीं आयगी।

मैं स्वयं कहता हूं :

"Destitution and democracy cannot, for long, go together".

अगर देश में गरीबी दूर नहीं होगी और गरीबी और बेकारी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अगर यह समस्या दूर नहीं होगी तो डेमोक्रेसी जिस के लिये हम कहते हैं कि उस को हम ने बचा लिया है, वह बहुत दिनों तक बची नहीं रह सकती। लेकिन इतना कहने के बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव की व्यावहारिकता पर भी ध्यान देना चाहिये। इस में कहा गया है कि 7 करोड़ लोगों को रोजगार दे कर एक साल के अन्दर 5 करोड़ एकड़ जमीन तोड़ी जाये। अभी तो यह विवादास्पद है, कि क्या 5 करोड़ एकड़ जमीन तोड़ने के लिये है भी ?

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा) : यह कृषि मंत्रालय में लिख कर दिया है कि इतनी जमीन है। इस मंत्रालय की सलाहकार समिति में भी यह टिप्पणी दी गई थी कि 4 करोड़ 95 लाख 61 हजार हैक्टर जमीन है, जिस में दो करोड़ 35 लाख, 59 हजार बंजर है, 1 करोड़ 68 लाख 63 हजार कृषि योग्य परती जमीन है और 91 लाख 39 हजार हैक्टर फालतू जमीन है। यह हमारे पास आपकी दी हुई टिप्पणी है।

श्री भानु प्रताप सिंह : शास्त्री जी, कृपया धैर्य पूर्वक सुनिये, मैं उन लोगों में से हूं जो इस बात की हिमायत करते हैं कि कोई जमीन ऐसी नहीं है जिस पर खेती नहीं हो सकती। प्रश्न इस का नहीं है कि कितनी जमीन है, प्रश्न इस का है कि आप के पास कितनी पूंजी है और कितनी प्रति हैक्टर लगा कर आप उस जमीन को तोड़ सकते हैं ?

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : यही तो करना है।

श्री भानु प्रताप सिंह : आप की बात मैं ने धैर्यपूर्वक सुनी, आप पूरी बात तो सुनें।

आज इस देश में बेरोजगारी दूर करनी है, हमारे साधन सीमित हैं। इस देश की राष्ट्रीय आय करीब 60 हजार करोड़ रुपये है, उस में से कोई 78 हजार करोड़ सालाना की बचत होती है। एक व्यक्ति की

रोजगार देने के लिये कुछ पूंजी लगती है, हमारे पास जो सीमित पूंजी है, उसको वहां लगाकर हम अधिक लोगों को रोजगार दे सकते हैं, प्रश्न यह है। हमारे विशेषज्ञों और मेरी निजी राय है कि जिस जमीन की चर्चा आप कर रहे हैं, उस जमीन को तोड़कर, सिंचाई का साधन मुहैय्या करके और खेती की जितनी आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने के लिये कम से कम 15 हजार रुपये प्रति हैक्टर चाहिये। 15 हजार रुपया व्यय करने के बाद हम 1 हैक्टर जमीन तोड़ पायेंगे और अगर 1 ही हैक्टर हम एक व्यक्ति को देते हैं तो एक आदमी का रोजगार लगा सकते हैं।

भूमि सेना के लिये माननीय शास्त्री जी का ही प्रस्ताव है कि प्रत्येक स सैनिक को 250 रुपये प्रतिमास दिया जाये, यानी 3उहजार रुपये सालाना, और यह मैंने जोड़ा है कि अग क साल इके अन्दर इस काम को करना है तो 21 हजार एरोड़ रुपया चाहिये। अब प्रश्न यह है कि क्याार कउस रुपये को जमीन तोड़ने पर लगाकर अच्छे न हम ासिल कर सकते हैं? अगर जमीन तोड़ने पर नतीजे ह रुपये को लगाकर अच्छे नतीजे हासि ल कियेही उसते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं, इसको करनाये चाह सक।

श्री उग्रसेन : सभापति महोदय, मंत्री महोदय आंकड़ों से हमें डरा रहे हैं।

श्री भानु प्रताप सिंह : डराने का प्रश्न नहीं है। आप डरते हैं। अन्यथा आपको इन बातों को सुनना चाहिए। आप क्यों डरते हैं?

अगर इस देश में बेरोजगारी की समस्या को थोड़े समय में हल करना है, तो एक करोड़ व्यक्तियों को प्रति-वर्ष अधिक रोजगार देना पड़ेगा। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, हमारे देश में साढ़े सात, आठ हजार करोड़ रुपये की ही सालाना बचत होती है। इस हिसाब से एक व्यक्ति को रोजगार देने के लिए हमारे पास साढ़े सात, आठ हजार रुपये से अधिक नहीं है, जबकि जमीन के तोड़ने के लिए पंद्रह हजार रुपये लगते हैं, जिससे एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है।

श्री डी० बी० चन्द्रे : यह कैसा कैलकुलेशन है?,

श्री भानु प्रताप सिंह : यही तो मिथ्या धारणा है, जो इस कठिनाई की जड़ में है। समझा यह जाता है कि केवल भूमि और श्रम को एकत्र कर दिया जाये, तो परिणाम निकल आयेगा। लेकिन नहीं निकलता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में आज छोटी काश्तकारियों की कमी नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम से कम 75 फ़ीसदी गांव ऐसे होंगे, जिनमें पूरे गांव में किसी के पास साढ़े बारह एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है। लेकिन उनकी उत्पादन-क्षमता क्यों गिरी हुई है? अगर श्रम और भूमि से उत्पादन बढ़ सकता, तो इस देश में प्रति हैक्टेयर उत्पादन बहुत अधिक होता। श्रमीकरण के तीसरे पहलू को आप भूल जाते हैं। आप पूछ सकते हैं कि आपकी क्या योजना है।

श्री उग्रसेन : पहले कुएं खोद कर सिंचाई कर लेते थे।

श्री भानु प्रताप सिंह : अब कुएं से कोई सिंचाई नहीं करता है। आपने गांव में जाना बंद कर दिया है। क्या आपने किसी को कुंआ चलाते देखा है?

श्री लक्ष्मी नारायण नायक (खजुराहो) : टीकमगढ़ जिले में पचास हजार कुएं हैं।

एक माननीय सदस्य : पंजाब में कुंओं से ही उत्पादन बढ़ गया है।

श्री भानु प्रताप सिंह : पंजाब में जो सफलता प्राप्त हुई है, उसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो मैं वहां के लोगों की कार्य-क्षमता की सराहना करता हूं। लेकिन उससे भी बड़ा कारण है भाखड़ा-नंगल बांध, जिससे बिजली और पानी बड़ी मात्रा में मिलता है।

चौधरी बलबीर सिंह (होशियारपुर) : होशियारपुर जिले में भाखड़ा की एक बूंद भी पानी नहीं मिलता है। इसके बावजूद वहां एक इंच भी जमीन ऐसी नहीं है, जहां खेती न होती हो।

श्री भानु प्रताप सिंह : बिजली मिलती है।

बेरोजगारी दूर करने के दूसरे रास्ते उससे सरल हैं, जिस का सुझाव इस प्रस्ताव में दिया गया है, और हम उन पर अमल भी कर रहे हैं।

माननीय सदस्य ने भूमि सेना की बात कही है। अगर हम यह सेना बना भी दें, तो, जैसा कि मैं ने पहले कहा है, वह किस की जमीन को तोड़ेगी—राज्य सरकार की, क्योंकि भारत सरकार के पास कोई जमीन नहीं है। मैं न इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और न समर्थन करता हूं। लेकिन मैं कहता हूं कि इस प्रस्ताव का भारत सरकार से सम्बन्ध नहीं है। (व्यवधान) मैं कहता हूं कि यह प्रस्ताव हमारे लिए इरेलिवेंट है। इस देश में परिस्थितियां बहुत भिन्न भिन्न हैं। संभव है कि किसी राज्य में लैंड आर्मी सफल भी हो, लेकिन बहुत से राज्य ऐसे हैं, जहां उसकी कोई उपयोगिता नहीं होगी। इस लिए अगर कोई राज्य सरकार इस बारे में प्रस्ताव ले कर आयेगी, तो उसे जो आर्थिक सहायता मिलती है, अगर वह चाहेगी कि उसमें हमें लैंड आर्मी के लिए पैसा दिया जाये, तो वह दिया जायेगा। उसकी खुशी है। लेकिन हमारे साधन सीमित हैं। जो राज्य सरकार को मिलने वाला है, उसमें चाहे वह लैंड आर्मी बनाये, चाहे दूसरे काम करे।

श्री उग्रसेन : उत्तर प्रदेश की तरफ़ से कहा गया है कि हम भूमि सेना बनायेंगे ।

श्री भानु प्रताप सिंह : अगर वह बनाये, तो आप उसका स्वागत करें—मैं भी उसका स्वागत करूंगा । यह उनके अधिकार में है । केवल राज्य सरकार इस काम को कर सकती है । अगर कोई राज्य सरकार कर सकती है, तो उसका स्वागत है । हमारे अधिकार में फूड फ़ार वर्क की योजना थी और हमने उसको चलाया । आदेश देने का कोई प्रश्न नहीं है । हमारे वश की जो बात थी वह भी लैंड आर्मी का दूसरा स्वरूप है । हम अनाज के बदले काम की एक योजना चला रहे हैं । उस योजना के अन्तर्गत इस वर्ष 400 मिलियन मैन डेज का काम मिलेगा । अगर इसको बदल दिया जाये तो 20 लाख लोगों के लिए साल भर का काम होता है । तो जो हमारे बस का था वह हम ने किया । . . .

श्री उग्रसेन : मेरे जिले में 45 प्रोजेक्ट मंजूर हैं और चार हो रहे हैं । मैं ने खुद चार किलोमीटर सड़क बनायी है और सब बी०डी०ओ० इस योजना का भोजन कर रहे हैं ।

श्री भानु प्रताप सिंह : आप की कमजोरी पर तरस आता है ।

SHRI DINESH JOARDER: I move that the half-hour discussion may be taken up at 5.45 P.M. today.

MR. CHAIRMAN: That cannot be done.

श्री भानु प्रताप सिंह : दूसरी बात मैं सिंचाई की करना चाहता हूं । सिंचाई बढ़ाने से रोजगार की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ सकती है । हम ने पिछले वर्ष 2.8 मिलियन हेक्टेयर यानी 28 लाख हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई की योजना चालू की है । और इस वर्ष 30 लाख हेक्टेयर में होगी । रोजगार देने की क्षमता, जमीन को ज्यों ही सिंचाई का साधन मिलता है, दुगनी हो जाती है । यहां माना जाता है, बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि दो तीन एकड़ तो बहुत अनएकोनामिक होल्डिंग है लेकिन अगर सिंचाई का साधन मिल जाये तो एक एकड़ भी एकोनामिक हो सकता है । इसलिये हम उस दिशा में चल रहे हैं । आप को यह जान कर खुशी होगी कि आज अपने देश में सिंचाई का काम जितनी तेजी से बढ़ाया जा रहा है उतना संसार के किसी भी देश में किसी भी समय किसी भी सरकार ने नहीं किया ।. . . (व्यवधान) . . . . वही तो आप लोगों ने नहीं किया । वही हम लोगों को करना है ।

इस के अतिरिक्त कैटिल ब्रीडिंग से बहुत संभावना है । दुग्ध उत्पादन और दूसरे कैटिल की ब्रीडिंग का काम है, छोटे ग्रामीण उद्योग हैं, इन सारी चीजों पर ध्यान लाया जाये तो मेरा ऐसा विश्वास है कि नतीजे लैंड आर्मी की अपेक्षा ज्यादा अच्छे निकलेंगे । परन्तु फिर भी, इस के बावजूद भी मैं मना नहीं करता हूं । मैं ने कहा कि जो राज्य सरकारें करना चाहती हैं वह करें । लेकिन एक पहलू और इसका है । एक बात और भी आप को ध्यान में रखनी पड़ेगी कि किसी देश में पूरी जमीन का कौन सा भाग वन के अंदर है । आज अपने देश में सिर्फ 22 प्रतिशत जमीन पर वन नाम लिखा हुआ है यद्यपि वास्तव में वह भी वन नहीं है जब कि विशेषज्ञों की राय है कि 33 प्रतिशत से कम वन नहीं होना चाहिए । अब प्रश्न यह है कि अगर हम को एफर्ट ही करना है तो हम कहां करें ? हम मान सकते हैं कि लैंड आर्मी की अधिक उपयोगिता हो सकती है अगर हम नहरें बनाएं, अगर हम पानी की निकासी के रास्ते बनाएं, वन लगाएं इस की अपेक्षा कि जो आप सोचते हैं कि जो बिल्कुल खराब जमीन है, बंजर है, उस को ठीक करें । आखिर आज तक वह बंजर क्यों पड़ी रही ? वह बहुत निम्न कोटि की जमीन होगी, तभी पड़ी रही ।

इसलिये अपने सीमित साधनों को अथवा उपयोगी कार्यों में लगाने की दृष्टि से मेरी अपनी निजी राय है कि हमें इन कार्यों को अधिक बढ़ावा देना चाहिए ।

अंत में मैं केवल एक बात और जरूर कहना चाहता हूं । भूमि-सुधार के विषय में यह कहा गया कि सारी भूमि का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये । मैं इस मांग को किसान विरोधी मांग मानता हूं । किसानों की इज्जत, किसानों की हैसियत उन की जमीन से है । अगर उस मिल्कियत को समाप्त कर के उन लोगों को एक ऐसी व्यवस्था का मजदूर बना दिया जाये तो फिर वह अपना सब कुछ खो बैठेंगे । सीलिंग का कानून लगना चाहिए । उस पर ईमानदारी में अमल होना चाहिए । लेकिन जो राष्ट्रीयकरण की बात कहते हैं वह किसानों के हित की बात नहीं है ।. . . (व्यवधान) . . . संसार में ऐसा कोई देश नहीं है जहां भूमि का राष्ट्रीयकरण और वहां खेती की पैदावार बढ़ी हो या किसानों में खुशहाली आई हो ।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः कहता हूं कि यदि कोई राज्य सरकार लैण्ड आर्मी की योजना बनाएगी तो हम उसका स्वागत करेंगे और उसमें सहयोग देंगे । जहां तक भूमि सुधार का सम्बन्ध है, हमारा निरन्तर प्रयत्न है कि हम उनसे कहें कि आप इसको ठीक से लागू करें । जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, यह राज्य सरकारों का काम है लेकिन हम लोग जो राजनीतिक क्षेत्र में हैं उनका भी तो कोई काम है ? आखिर ग्राम के क्षेत्र में ऐसी धांधली क्यों होती है ? हम उनकी आलोचना करते हैं लेकिन आप मुझे क्षमा करेंगे, मुझे यह भी कहना पड़ता है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं में भी कहीं कुछ कमी है वरना इस प्रकार की धांधली नहीं हो सकती है ।